# विक्रम विश्वविद्यालय,उज्जैन

क्रमांक/अकादमिक/सम्मिलन/2018/754 दिनांक :- 06/04/18

प्रति,

माननीय कुलाधिपति एवं राज्यपाल के सचिव,
राजभवन,
भोपाल।

**विषय :- कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 23.03.2018 एवं 24.03.2018 का कार्यविवरण विषयक।**

**महोदय,**

उपर्युक्त विषयान्तर्गत इस पत्र के साथ कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 23.03.2018 एवं दिनांक 24.03.2018 का कार्यविवरण आपकी ओर संलग्न प्रेषित किया जा रहा है।

आदेशानुसार

संलग्न :- उपरोक्तानुसार

कुलसचिव

क्रमांक/अकादमिक/सम्मिलन/2018/755 दिनांक :- 06/04/18

प्रतिलिपि :-

01. कार्यपरिषद् के समस्त माननीय सदस्यगण।
02. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग,मंत्रालय,भोपाल।
03. आयुक्त, उच्च शिक्षा विभाग, सतपुड़ा भवन, भोपाल।

उपकुलसचिव(अकादमिक)

विक्रम विश्वविद्यालय,उज्जैन

क्रमांक/अकादमिक/सम्मिलन/2018/ 720 दिनांक :– 23.03.18

**कार्यपरिषद्**
**की**
**बैठक की कार्यविवरण**

**स्थान :–** माधव भवन, उज्जैन

**तिथि :–** 23.03.2018
**समय :–** पूर्वान्ह : 11:00 बजे –::

**उपस्थिति :–**

| | | |
|---|---|---|
| 01. | प्रो. एस.एस.पाण्डेय | कुलपति एवं अध्यक्ष |
| 02. | डॉ. बी.के. मेहता | सदस्य |
| 03. | डॉ. एच.एस. राठौर | सदस्य |
| 04. | डॉ. ओ.पी. व्यास | सदस्य |
| 05. | डॉ. नागेश शिन्दे | सदस्य |
| 06. | डॉ. एच.पी. सिंह | सदस्य |
| 07. | डॉ. प्रतिभा कोठारी | सदस्य |
| 08. | डॉ. लक्ष्मी दत्ता | सदस्य |
| 09. | डॉ. उषा श्रीवास्तव (अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा,उज्जैन संभाग) | सदस्य |
| 10. | संयुक्त संचालक, कोष एवं लेखा | सदस्य |
| 11. | डॉ. आशुतोष दुबे | सदस्य |
| 12. | प्रो. राजाराम यादव | सदस्य |
| 13. | श्री सुनील कुमार | सदस्य |
| 14. | श्री सुरेन्द्र गांधी | सदस्य |
| 15. | डॉ. परीक्षित सिंह | कुलसचिव एवं सचिव |

कार्यपरिषद में नवनियुक्त सदस्य डॉ. एच.एस. राठौर एवं डॉ. ओ.पी. व्यास का कुलपतिजी एवं कुलसचिवजी द्वारा स्वागत किया गया।

**विषय क्र.01.** कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 07 नवम्बर 2017 के कार्यविवरण की पुष्टि पर विचार। (कार्यविवरण की प्रति संलग्न)

**निर्णय :–** निर्णय लिया गया कि कार्यपरिषद् की विगत बैठक दिनांक 07 नवम्बर 2017 के कार्यविवरण की पुष्टि की गई।

**(क्रियान्वयन–अकादमिक विभाग)**

**विषय क्र.02.** विद्यापरिषद् की स्थाई समिति की बैठक दिनांक 03.11.2017,17.11.2017,01.12.2017,08.12.2017, 22.12.2017, 29.12.2017, 05.01.2018, 19.01.2018, 03.02.2018,12.02.2018,16.02.2018 एवं 23.02.2018 के कार्य विवरणों पर विचार।
(कार्यविवरणों की प्रति संलग्न)

**निर्णय :–** निर्णय लिया गया कि विद्यापरिषद् की स्थाई समिति की बैठक दिनांक 03.11.2017,17.11.2017, 01.12.2017,08.12.2017, 22.12.2017, 29.12.2017, 05.01.2018, 19.01.2018, 03.02.2018,12.02.2018,16.02.2018 एवं 23.02.2018 के कार्य विवरणों को अनुमोदित किया गया।

**(क्रियान्वयन–अकादमिक विभाग)**

**विषय क्र.03.** शोध अभ्यार्थियों द्वारा प्रस्तुत शोध प्रबंधों के परिक्षकों की अनुशंसा के आधार पर प्रदान की गई पीएच.डी. उपाधि की सूचना।
(सूची पटल पर प्रस्तुत की जावेगी।)

**निर्णय :–** निर्णय लिया गया कि शोध अभ्यार्थियों द्वारा प्रस्तुत शोध प्रबंधों के परिक्षकों की अनुशंसा के आधार पर प्रदान की गई पीएच.डी. उपाधि की सूचना ग्राह्य की गई।

**(क्रियान्वयन–गोपनीय विभाग)**

**विषय क्र.04.** बजट वित्तीय वर्ष 2017–18 के पुनरीक्षित वित्तीय अनुमानों तथा बजट वित्तीय वर्ष 2018–19 के मूल वित्तीय अनुमानों एवं वित्तीय वर्ष 2016–17 की वास्तविक आय–व्यय तथा अंकेक्षण आपत्तियों वर्ष 2015–16 के उत्तर पर विचार।

**निर्णय :–** निर्णय लिया गया कि बजट वित्तीय वर्ष 2017–18 के पुनरीक्षित वित्तीय अनुमानों तथा बजट वित्तीय वर्ष 2018–19 के मूल वित्तीय अनुमानों के अनुसार विश्वविद्यालय के वार्षिक वित्तीय प्राक्कलन को विरचित किया जाए तथा इसे विश्वविद्यालय सभा के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया जाए।
वित्तीय वर्ष 2016–17 की वास्तविक आय–व्यय तथा अंकेक्षण आपत्तियों वर्ष 2015–16 के उत्तर के संबंध में प्रतिवेदन कार्यपरिषद की आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जाए।

**(क्रियान्वयन–लेखा विभाग)**

**विषय क्र.05.** स्व.श्री अशोक भावसार,सेवानिवृत्त,प्रयोगशाला परिचारक,शासकीय माधव विज्ञान महाविद्यालय, उज्जैन के ग्रेच्युटी भुगतान के संबंध में विचारार्थ।

**टीप** :– स्व. श्री अशोक भावसार, दि. 30.06.2012 को शासकीय माधव विज्ञान महाविद्यालय, उज्जैन से सेवानिवृत्त होने के पश्चात स्वर्गवासी हो चुके हैं, फलस्वरूप उनकी पत्नि श्रीमती चंदाबाई को शासन स्तर से पेंशन प्राप्त हो रही है परन्तु श्रीमती चंदाबाई ने स्व. श्री अशोक भावसार के ग्रेच्युटी भुगतान हेतु सी.एम. हेल्पलाइन क्रं. 5142364, दि. 15.12.2017 में एल–4 तक शिकायत की गई है। स्व. श्री अशोक भावसार को शासन द्वारा पांचवे वेतन में जी.पी.ओ. क्रं. 331, दि. 25.02.2014 (संलग्न) जारी किया गया है, जिसमें पांचवे वेतन की राशि रू. 166997/– अंकित है। यह भी उल्लेखनीय है कि उक्त प्रकरण में किसी प्रकार का न्यायालयीन निर्णय प्राप्त नहीं हुआ है एवं विश्वविद्यालय द्वारा उक्त भुगतान के संबंध में प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा से स्पष्ट निर्देश प्रदान किये जाने हेतु पत्र क्रं. 1958,दि. 6.1.2018 प्रेषित किया गया है, परन्तु शासन से किसी भी प्रकार के निर्देश प्रदान नहीं किये गये है।
एतद् विचारार्थ प्रस्तुत है।

**निर्णय :–** निर्णय लिया गया कि शासकीय माधव महाविद्यालय उज्जैन एवं शासकीय माधव विज्ञान महाविद्यालय, उज्जैन के सेवानिवृत्त कर्मचारी एवं शिक्षकों के ग्रेच्युटी भुगतान हेतु कुलपति महोदय एवं कुलसचिवजी को कार्यवाही करने हेतु अधिकृत किया जाए।

**(क्रियान्वयन–प्रशासन/लेखा विभाग)**

**विषय क्र.06.** श्री भगवती प्रसाद यादव, सेवानिवृत्त, शासकीय माधव विज्ञान महाविद्यालय, उज्जैन के ग्रेच्युटी व अवकाश नगदीकरण के भुगतान के संबंध में विचार।

**टीप** :– श्री भगवती प्रसाद यादव दि. 31.12.2015 को शासकीय माधव विज्ञान महाविद्यालय, उज्जैन से सेवानिवृत्त हुए है। इनके ग्रच्यूटी भुगतान हेतु अपर संचालक, वित्त के द्वारा जारी पी.पी.ओ. क्रं. 1254, दि. 8.7.16 अनुसार ग्रेच्युटी की राशि रू. 376530/– एवं अवकाश नगदीकरण हेतु प्राचार्य द्वारा भेजी गई सूची अनुसार राशि रू. 189909/– अंकित है। अतः कुल राशि रू. 566439/– होता है प्रकरण में संबंधित द्वारा भुगतान हेतु माननीय न्यायालय में दायर याचिका क्रं. 18543/2017 का निर्णय दि. 7.11.2017 संलग्न है एवं उक्त निर्णय अनुसार विश्वविद्यालय विधिक सलाहकार द्वारा दिया गया विधिक अभिमत दि. 4.1.2018 संलग्न है।

यहॉ यह उल्लेखनीय है कि उक्त भुगतान हेतु प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा विभाग से पत्र क्रं. 1911, दि. 29.12.17 के द्वारा स्पष्ट निर्देश प्रदान किये जाने हेतु पत्र प्रेषित किया गया है परन्तु शासन से किसी प्रकार के निर्देश प्राप्त नहीं हुए है।
एतद् विचारार्थ प्रस्तुत है।

**निर्णय** :– निर्णय लिया गया कि शासकीय माधव महाविद्यालय उज्जैन एवं शासकीय माधव विज्ञान महाविद्यालय, उज्जैन के सेवानिवृत्त कर्मचारी एवं शिक्षकों के ग्रेच्युटी भुगतान हेतु कुलपति महोदय एवं कुलसचिवजी को कार्यवाही करने हेतु अधिकृत किया जाए।

**(क्रियान्वयन–प्रशासन/लेखा विभाग)**

**विषय क्र.07.** प्रो. आर.पी. मित्तल, सेवानिवृत्त प्राध्यापक, शासकीय माधव महाविद्यालय के छठे वेतन से ग्रेच्युटी एवं अवकाश नगदीकरण के भुगतान के संबंध में विचारार्थ।

**टीप** :– प्रो.आर.पी. मित्तल, सेवानिवृत्त शासकीय माधव महाविद्यालय के छठे वेतन में ग्रेच्युटी एवं अवकाश नगदीकरण के भुगतान के संबंध में प्रकरण को विश्वविद्यालय की पूर्व कार्यपरिषद की बैठक में विचारार्थ प्रस्तुत किया गया था जिसमें निर्णय लिया गया प्रो. मित्तल के भुगतान बाबत् म.प्र. शासन, उच्च शिक्षा विभाग, भोपाल से निर्देश प्राप्त होने के पश्चात कार्यवाही की जावे, उक्त प्रकरण में शासन से किसी प्रकार के निर्देश प्राप्त नहीं हुए है, परन्तु उक्त प्रकरण में अवमानना याचिका क्रं. 791/17 दायर की गई है जिसकी सूचना प्रो. मित्तल के पत्र दि. 5.2.18 के तारतम्य में प्राचार्य द्वारा दि. 5.2.18 को विश्वविद्यालय को अग्रेषित की गई।

अतः प्रो. मित्तल के ग्रेच्युटी एवं अवकाश नगदीकरण के भुगतान के संबंध में प्रकरण विचारार्थ प्रस्तुत है।

**निर्णय** :– निर्णय लिया गया कि शासकीय माधव महाविद्यालय उज्जैन एवं शासकीय माधव विज्ञान महाविद्यालय, उज्जैन के सेवानिवृत्त कर्मचारी एवं शिक्षकों के ग्रेच्युटी भुगतान हेतु कुलपति महोदय एवं कुलसचिवजी को कार्यवाही करने हेतु अधिकृत किया जाए।

**(क्रियान्वयन–प्रशासन/लेखा विभाग)**

**अध्यक्ष महोदय की अनुमति से अन्य विषय पर विचार।**

**विषय क्रं. 01:– डॉ. सर्वपाल सिंह राणा को शोध प्रबंध जमा करने की अनुमति पर विचार।**

**टीप** :– कार्यपरिषद की बैठक दिनांक 07.11.2017 के विषय क्रं. 04 के अंतर्गत दो सदस्यीय समिति का गठन किया गया था। समिति से प्राप्त प्रतिवेदन कार्यपरिषद के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

**निर्णय** :– निर्णय लिया गया कि दो सदस्यी समिति से प्राप्त प्रतिवेदन एवं समिति की प्राप्त अनुशंसा को मान्य करते हुए शोध प्रबंध जमा करने की अनुमति दी गई।

**(क्रियान्वयन–अकादमिक विभाग)**

**विषय क्रं. 02:– डॉ. मनोहर दलाल प्रकरण में न्यायाधीकरण के गठन के संबंध में।**

**टीप** :– कार्यपरिषद की बैठक दिनांक 24.07.2017 के विषय क्रं. 15 के अंतर्गत न्यायाधीकरण का गठन किया जाना है। जो कि निम्नानुसार है:–

1. एक कार्यपरिषद् से नामांकित सदस्य।
2. एक सभा द्वारा नामित सदस्य।
3. एक इंडिपेन्डेन्ट सदस्य कार्यपरिषद् द्वारा नाम निर्देशित जो जिला एवं सत्र न्यायाधीश रैंक के समकक्ष हो।

अतः उपरोक्तानुसार कार्यपरिषद् द्वारा सदस्यों के नामांकन, नाम निर्देशन हेतु प्रकरण

कार्यपरिषद के सम्मुख विचारार्थ प्रस्तुत।

**निर्णय** :– निर्णय लिया गया कि डॉ. मनोहर दलाल प्रकरण में न्यायाधिकरण के गठन हेतु कार्यपरिषद की ओर से नाम निर्देशन बाबत माननीय कुलपतिजी को अधिकृत किया गया।

**(क्रियान्वयन–प्रशासन विभाग)**

**विषय क्रं.03 :– भवन समिति की बैठक के कार्यविवरण पर विचार।**

**टीप** :– भवन समिति की सम्पन्न बैठक दिनांक 22.03.2018 का कार्यविवरण कार्यपरिषद के सम्मुख विचारार्थ प्रस्तुत।

**निर्णय** :– निर्णय लिया गया कि भवन समिति की बैठक दिनांक 22.03.2018 के कार्यविवरण को अनुमोदित किया गया।

**(क्रियान्वयन– यांत्रिकी विभाग)**

**विषय क्रं. 04:– श्री शैलेन्द्र रावल, सेवानिवृत्त, शासकीय माधव महाविद्यालय, उज्जैन के ग्रेज्युटी एवं अवकाश नगदीकरण के भुगतान के संबंध में विचार।**

**टीप** :– श्री शैलेन्द्र रावल, दिनांक 31.12.2015 को शासकीय माधव महाविद्यालय, उज्जैन से सेवानिवृत्त हुए हैं, इनके ग्रेज्युटी भुगतान हेतु अपर संचालक, वित्त के द्वारा जारी जी.पी.ओ. क्रं. 1825 दिनांक 18.1016 के अनुसार ग्रेज्युटी की राशि रू. 575850/– एवं अवकाश नगदीकरण हेतु प्राचार्य, शासकीय माधव महाविद्यालय के पत्र क्रं. 1703, दिनांक 12.02.16 के संलग्न सूची अनुसार राशि रू. 305728/– अंकित है। अतः कुल राशि रू.881578/– होती है। प्रकरण में संबंधित द्वारा पूर्व में सी.एम. हेल्पलाइन में शिकायत की गई थी। यहां यह उल्लेखनीय है कि उक्त प्रकरण में किसी प्रकार का न्यायालयीन निर्णय प्राप्त नहीं हुआ है। उक्त प्रकरण में विर्शेष कर्तव्यस्थ अधिकारी कार्यालय आयुक्त, उच्च शिक्षा विभाग, म.प्र. शासन, सतपुड़ा भवन, भोपाल के द्वारा जारी पत्र क्रं. 55, दिनांक 08.01.2018 संलग्न अनुसार लिखा गया है कि श्री शैलेन्द्र रावल को जारी जी.पी.ओ. अनुसार भुगतान किया जावे। प्रकरण कार्यपरिषद् के सम्मुख विचारार्थ प्रस्तुत।

**निर्णय** :– निर्णय लिया गया कि शासकीय माधव महाविद्यालय उज्जैन एवं शासकीय माधव विज्ञान महाविद्यालय, उज्जैन के सेवानिवृत्त कर्मचारी एवं शिक्षकों के ग्रेच्युटी भुगतान हेतु कुलपति महोदय एवं कुलसचिवजी को कार्यवाही करने हेतु अधिकृत किया जाए। अतः श्री शैलेन्द्र रावल, सेवानिवृत्त, शासकीय माधव महाविद्यालय, उज्जैन के ग्रेज्युटी एवं अवकाश नगदीकरण के भुगतान के संबंध में तदनुसार कार्यवाही की जाए।

**(क्रियान्वयन–प्रशासन/लेखा विभाग)**

**विषय क्रं. 05:–अध्यादेश क्रमांक 56,(एम.एससी.–एन्वायरमेंट मैनेजमेंट) एवं 57, (एम.एससी.–माईक्रोबॉयोलॉजी) में संशोधन हेतु प्रस्ताव समन्वय समिति में भेजने के प्रकरण पर विचार।**

**टीप** :– विद्यापरिषद् की बैठक दिनांक 19.01.2018 के निर्णयानुसार एम.एससी.(एन्वायरमेंट मैनेजमेंट) एवं (माईक्रोबॉयोलॉजी) पाठ्यक्रम में विगत वर्ष में सीटें रिक्त होने की स्थिति में पाठ्यक्रम में प्रवेश एन्ट्रेंस टेस्ट के स्थान पर प्रावीण्यता के आधार पर लिये जाने का अनुमोदन किया गया। एतद् विचारार्थ।

**निर्णय** :– निर्णय लिया गया विद्यापरिषद् की बैठक दिनांक 19.01.2018 के निर्णयानुसार एम.एससी. (एन्वायरमेंट मैनेजमेंट) एवं (माईक्रोबॉयोलॉजी) पाठ्यक्रम में विगत वर्ष में सीटें रिक्त होने की स्थिति में पाठ्यक्रम में प्रवेश एन्ट्रेंस टेस्ट के स्थान पर प्रावीण्यता के आधार पर लिये जाने को मान्य किया गया। अध्यादेश में तद्नुसार संशोधन हेतु प्रस्ताव समन्वय समिति को प्रेषित किया जाए।

**(क्रियान्वयन–अकादमिक विभाग)**

**विषय क्रं. 06:– कार्यपरिषद् के अशासकीय सदस्यों को मानदेय के भुगतान की राशि रू. 1000/–के स्थान पर रू. 3000/– करने विषयक विचार।**

**टीप** :– म.प्र. शासन उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, के पत्र क्रं. 2021/486/सी.सी./17/38 भोपाल दिनांक 27.11.2017 के द्वारा समन्वय समिति की 93वीं बैठक दिनांक 25.10.17 में लिये गये निर्णय अनुसार कार्यपरिषद् के अशासकीय सदस्यों को मानदेय के भुगतान की राशि रू. 1000/– के स्थान पर रूप. 3000/– वृद्धि करने के प्रस्ताव को समस्त पारम्परिक विश्वविद्यालयों में लागू किये जाने हेतु मान्य किये जाने बाबत् अवगत कराया गया है तथा समन्वय समिति के निर्णय अनुसार आवश्यक कार्यवाही कर की गई कार्यवाही का पालन प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया है।

शासन के उक्त पत्र अनुसार समन्वय समिति द्वारा लिया गया निर्णय कार्यपरिषद के सम्मुख अंगीकृत किये जाने बाबत विचारार्थ प्रस्तुत।

**निर्णय :–** कार्यपरिषद् के अशासकीय सदस्यों को मानदेय के भुगतान की राशि रू.1000/– के स्थान पर रू. 3000/– वृद्धि करने बाबात समन्वय समिति के निर्णय के अनुसार म.प्र. शासन से प्राप्त पत्र को विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन में लागू किए जाने बाबत् अंगीकृत किया गया।

**(क्रियान्वयन–लेखा विभाग)**

**विषय क्रं. 07:– विश्वविद्यालय में आई.यू.एम.एस. (IUMS) की प्रक्रिया आद्यतन स्थिति की सूचना।**

**टीप** :– टीप पटल पर प्रस्तुत की जावेगी।

**निर्णय :–** कार्यपरिषद को अवगत कराया गया कि समन्वय समिति की 93वीं बैठक दि. 25.10.17 के विषय क्रं. 05 पर प्रदान किए गए निर्णय के अनुसार विश्वविद्यालय को आई.यू.एम.एस. का कार्य विकेन्द्रीकृत प्रणाली के अन्तर्गत करने की स्वीकृति प्रदान की गई थी। जिसके परिपालन में विश्वविद्यालय द्वारा दि. 5.1.18 को क्यू.सी.बी.एस. आधारित राज्य शासन/केन्द्रीय शासन/शासकीय उपक्रम/ज्वाइंट वेंचर से "रूचि की अभिव्यक्ति" (द्वितीय आमंत्रण) हेतु विज्ञप्ति का प्रकाशन किया गया। जिसके परिप्रेक्ष्य में 03 कंपनियों यथा आई.टी.आई., नईदिल्ली, क्रिस्प, भोपाल एवं एम.पी. आनलाईन, भोपाल के प्रस्ताव विश्वविद्यालय को प्राप्त हुए। उक्त तीनों कंपनियों द्वारा दि. 19.02.2018 को विश्वविद्यालय के समस्त विभागाध्यक्षों/अधिकारियों/तकनीकी अधिकारियों के समक्ष प्रस्तुतिकरण दिया गया। दिनांक 14 एवं 21 मार्च, 2018 को विश्वविद्यालय की समिति द्वारा आई.यू.एम.एस. के एप्लिकेशन के परीक्षण हेतु उक्त तीनों कम्पनियों द्वारा किए जा रहे कार्य का कार्य स्थल पर जाकर निरीक्षण/परीक्षण किया गया। उक्त प्रक्रिया के पश्चात विश्वविद्यालय द्वारा रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल (आर.एफ.पी.) जारी किए जाने की कार्यवाही की जा रही है।
निर्णय लिया गया कि विश्वविद्यालय द्वारा की जा रही उक्त कार्यवाही का अनुमोदन किया गया। आगामी सम्पूर्ण प्रक्रिया यथाशीध्र पूर्ण की जाए।

**(क्रियान्वयन–कम्प्युटर सेंटर/विकास/भण्डार विभाग)**

**विषय क्रं. 08:– चार्टर्ड अकाउण्टेन्ट द्वारा निर्धारित सम्बद्धता निरंतरता शुल्क की विश्वविद्यालय को देय राशि के संबंध में।**

**टीप** :– विश्वविद्यालय के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत विभिन्न सम्बद्ध महाविद्यालयों के बकाया सम्बद्धता शुल्क की रिकवरी विश्वविद्यालय द्वारा नियुक्त बाह्य संपरीक्षक (सी.ए.) द्वारा निकाली गई है। जिसको जमा करने के संबंध में संबंधित महाविद्यालयों को विश्वविद्यालय के पत्र क्रं. /अकादमिक/सम्बद्धता/2018/641, दिनांक 05.03.2018 द्वारा सूचित किया गया है। इसी प्रकार विश्वविद्यालय के आदेश क्रं./अकादमिक/सम्बद्धता/2018/703 दिनांक 15.03.18 के द्वारा ऐसे महाविद्यालयों जिनका विश्वविद्यालय को देय शुल्क 10 लाख रूपये अथवा अधिक है उन महाविद्यालयों के छात्रों के परीक्षा फार्म नहीं भरवाये जाने तथा जिनके शुल्क की देय राशि 10 लाख से कम है उन महाविद्यालयों के परीक्षा परिणाम रोके जाने बाबत् आदेश जारी किये गये हैं। प्रकरण कार्यपरिषद के सूचनार्थ प्रस्तुत है।

**निर्णय :–** निर्णय लिया गया उक्त के परिप्रेक्ष्य में निदेशक, महाविद्यालयीन विकास परिषद, वित्त नियंत्रक एवं उपकुलसचिव, अकादमिक की एक समिति का गठन किया जाता है, जो सम्पूर्ण परिप्रेक्ष्य में विचार कर अपना प्रतिवेदन एवं अनुशंसा प्रस्तुत करेंगी। विद्यार्थियों के परीक्षा फार्म के संबंध में निर्णय लेने के लिए कुलपतिजी को अधिकृत किया गया है। चार्टेड अकाउण्टेंट फर्म को कार्य का आकलन करते हुए आंशिक भुगतान किए जाने का निर्णय लिया गया।

**(क्रियान्वयन– लेखा/अकादमिक विभाग)**

**अध्यक्ष महोदय के प्रति धन्यवाद ज्ञापन के पश्चात बैठक की कार्यवाही सम्पन्न हुई।**

**कुलपति** **कुलसचिव**

**विक्रम विश्वविद्यालय,उज्जैन**

क्रमांक/अकादमिक/सम्मिलन/2018/723 दिनांकः– 24/03/18

**कार्यपरिषद्**

**की**

**बैठक की कार्यविवरण**

स्थान :– माधव भवन, उज्जैन

तिथि :– 24.03.2018

समय :– पूर्वान्ह : 11:00 बजे

**–:: उपस्थिति ::–**

| | | |
|---|---|---|
| 01. | प्रो. एस.एस.पाण्डेय | कुलपति एवं अध्यक्ष |
| 02. | डॉ. बी.के. मेहता | सदस्य |
| 03. | डॉ. एच.एस. राठौर | सदस्य |
| 04. | डॉ. ओ.पी. व्यास | सदस्य |
| 05. | डॉ. नागेश शिन्दे | सदस्य |
| 06. | डॉ. एच.पी. सिंह | सदस्य |
| 07. | डॉ. आशुतोष दुबे | सदस्य |
| 08. | श्री सुनील कुमार | सदस्य |
| 09. | श्री सुरेन्द्र गांधी | सदस्य |
| 10. | डॉ. परीक्षित सिंह | कुलसचिव एवं सचिव |

**विषय क्र.01.** कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 23.03.2018 के कार्यविवरण की पुष्टि पर विचार।

**निर्णय :–** निर्णय लिया गया कि कार्यपरिषद् की विगत बैठक दिनांक 23 मार्च, 2018 के कार्यविवरण की पुष्टि की गई।

**(क्रियान्वयन–अकादमिक विभाग)**

**विषय क्र.02.** दिनांक 23.03.2018 को सम्पन्न सभा की बैठक के कार्यविवरण पर विचार।

**निर्णय :–** निर्णय लिया गया कि दिनांक 23.03.2018 को सम्पन्न कार्यपरिषद द्वारा विरचित एवं विश्वविद्यालय सभा द्वारा दि. 23.03.2018 को स्वीकृत बजट वित्तीय वर्ष 2017–18 के पुनरीक्षित वित्तीय अनुमानों तथा बजट वित्तीय वर्ष 2018–19 के मूल वित्तीय अनुमानों के अनुसार विश्वविद्यालय के वार्षिक वित्तीय प्राक्कलन को अंगीकृत किया गया।

**(क्रियान्वयन–अकादमिक विभाग)**

**अध्यक्ष महोदय की अनुमति से अन्य विषय पर विचार**

विषय क्रं. 01:– विश्वविद्यालय परिसर में 250 सीटर छात्र छात्रावास निर्माण पर विचार।

टिप्पणी:– विक्रम विश्वविद्यालय परिसर में छात्रों की बढ़ती हुई संख्या को दृष्टिगत रखते हुए 250 सीटर छात्र छात्रावास का निर्माण प्रस्तावित है जिस हेतु रू. 7.50 करोड़ की वित्तीय एवं प्रशासकीय स्वीकृति तथा निविदा आमंत्रण की स्वीकृति पर विचार।

**निर्णय :–** निर्णय लिया गया कि प्रस्ताव अनुसार छात्रावास निर्माण हेतु रू. 7.50 करोड़ की स्वीकृति तथा निविदा आमंत्रण की स्वीकृति प्रदान की गई।

**(क्रियान्वयन–यांत्रिकी विभाग)**

विषय क्रं. 02:– विश्वविद्यालय के स्वामी विवेकानंद स्कूल ऑफ इंजिनीयरिंग भवन के विस्तार पर विचार।

टिप्पणी:– विक्रम विश्वविद्यालय परिसर स्थित स्वामी विवेकानंद स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग भवन की क्षमता कम होने के कारण छात्र–छात्राओं को अध्ययन अध्यापन में हो रही परेशानियों को देखते हुए विस्तार भवन हेतु रू.5 करोड़ की वित्तीय एवं प्रशासकीय स्वीकृति तथा निविदा आमंत्रण की स्वीकृति पर विचार।

**निर्णय :–** निर्णय लिया गया कि प्रस्ताव अनुसार स्वामी विवेकानंद स्कूल ऑफ इंजिनीयरिंग भवन के विस्तार भवन हेतु रू. 5 करोड़ की स्वीकृति तथा निविदा आमंत्रण की स्वीकृति प्रदान की गई।

**(क्रियान्वयन–यांत्रिकी विभाग)**

विषय क्रं.03 :– विश्वविद्यालय के विभिन्न अध्ययनशालाओं में व्हीकल स्टेन्ड निर्माण पर विचार।

टिप्पणी:– विक्रम विश्वविद्यालय के विभिन्न अध्ययनशालाओं में छात्र–छात्राओं के वाहनों हेतु व्हीकल स्टेन्ड नहीं है। उक्त समस्या को देखते हुए पांच भवनों में व्हीकल स्टेन्ड निर्माण हेतु रू.50 लाख की वित्तीय एवं प्रशासकीय स्वीकृति तथा निविदा आमंत्रण की स्वीकृति पर विचार।

**निर्णय :–** निर्णय लिया गया कि प्रस्ताव अनुसार विक्रम विश्वविद्यालय परिसर स्थित पांच भवनों में व्हीकल स्टेन्ड निर्माण हेतु रू.50 लाख की स्वीकृति तथा निविदा आमंत्रण की स्वीकृति प्रदान की गई।

**(क्रियान्वयन–यांत्रिकी विभाग)**

विषय क्रं. 04:– विश्वविद्यालय के सांख्यिकी अध्ययनशाला के विस्तार भवन निर्माण पर विचार।

टिप्पणी:– विक्रम विश्वविद्यालय परिसर स्थित सांख्यिकी अध्ययनशाला की क्षमता कम होने के कारण छात्र–छात्राओं को अध्ययन अध्यापन में हो रही परेशानियों को देखते हुए विस्तार भवन हेतु रू. 72 लाख की वित्तीय एवं प्रशासकीय स्वीकृति तथा निविदा आमंत्रण की स्वीकृति पर विचार।

**निर्णय :–** निर्णय लिया गया कि प्रस्ताव अनुसार सांख्यिकी अध्ययनशाला के विस्तार भवन निर्माण हेतु रू.72 लाख की स्वीकृति तथा निविदा आमंत्रण की स्वीकृति प्रदान की गई।

**(क्रियान्वयन–यांत्रिकी विभाग)**

विषय क्रं. 05:– विश्वविद्यालय में नवाचार पर विचार।

**निर्णय :–** निर्णय लिया गया कि प्रस्ताव अनुसार विश्वविद्यालय में विभिन्न नवाचार प्रक्रियाओं को लागू किया जाए एवं इस हेतु रू. 50 लाख का प्रावधान किया जाए।

**(क्रियान्वयन–लेखा/यांत्रिकी विभाग)**

विषय क्रं. 05:– परीक्षा कार्य हेतु प्रदान किए जाने वाले मानदेय पर विचार।

**निर्णय :–** निर्णय लिया गया कि परीक्षा आयोजन बाबत विभिन्न प्रक्रियाओं, कार्यो हेतु भुगतान किये जाने वाले मानदेय/पारिश्रमिक पर विचार कर अनुशंसा प्रदान करने के लिए एक समिति का गठन किया जाए। समिति के गठन हेतु माननीय कुलपतिजी को अधिकृत किया गया।

**(क्रियान्वयन–परीक्षा/गोपनीय विभाग)**

विषय क्रं. 06:– कार्यपरिषद सदस्य डॉ. आशुतोष दुबे ने बैठक के दौरान चर्चा में सुझाव प्रस्तुत किया कि विश्वविद्यालय द्वारा प्रदान की जाने वाली अंकसूचियों पर क्यू.आर. कोड़ अंकित किया जाए, जिसमें दर्ज विवरण को मोबाईल एप के माध्यम से जाना जा सके। इसी प्रकार उन्होंने यह भी सुझाव प्रस्तुत किया कि परीक्षार्थियों की उत्तरपुस्तिकाओं का आनलाईन मूल्यांकन किया जाए।

**निर्णय :–** निर्णय लिया गया कि प्रस्ताव अनुसार कार्यवाही किए जाने हेतु सहमति प्रदान की गई।

**(क्रियान्वयन–परीक्षा/गोपनीय विभाग)**

**कुलपति** **कुलसचिव**

# विक्रम विश्वविद्यालय,उज्जैन

क्रमांक/अकादमिक/सम्मिलन/2018/ 1458 दिनांक :- 09/07/18

प्रति,

माननीय कुलाधिपति एवं राज्यपाल के सचिव,
राजभवन,
भोपाल।

**विषय :- कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 27.06.2018 का कार्यविवरण विषयक।**

**महोदय,**

उपर्युक्त विषयान्तर्गत इस पत्र के साथ कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 27.06.2018 का कार्यविवरण आपकी ओर संलग्न प्रेषित किया जा रहा है।

**आदेशानुसार**

संलग्न :- उपरोक्तानुसार

**कुलसचिव**

क्रमांक/अकादमिक/सम्मिलन/2018/ 1459 दिनांक :- 09/7/18

**प्रतिलिपि :-**

01. कार्यपरिषद् के समस्त माननीय सदस्यगण।
02. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग,मंत्रालय,भोपाल।
03. आयुक्त, उच्च शिक्षा विभाग, सतपुड़ा भवन, भोपाल।

**उपकुलसचिव(अकादमिक)**

विक्रम विश्वविद्यालय,उज्जैन

क्रमांक / अकादमिक / सम्मिलन / 2018 / 1429

दिनांक :– 06/07/18

# कार्यपरिषद्
# की
# बैठक का कार्यविवरण

स्थान :– माधव भवन, उज्जैन

तिथि :– 27.06.2018
समय :– दोपहर : 12:00 बजे

–:: उपस्थिति ::–

| | | |
|---|---|---|
| 01. | प्रो. एस.एस.पाण्डेय | कुलपति एवं अध्यक्ष |
| 02. | डॉ. एच.एस. राठौर | सदस्य |
| 03. | डॉ. ओ.पी. व्यास | सदस्य |
| 04. | डॉ. एच.पी. सिंह | सदस्य |
| 05. | डॉ. आशुतोष दुबे | सदस्य |
| 06. | श्री सुनील कुमार | सदस्य |
| 07. | श्री सुरेन्द्र गांधी | सदस्य |
| 08. | श्रीमती अमृता सोलंकी | सदस्य |
| 09. | प्रो. रमेश जाटवा | सदस्य |
| 10. | डॉ. आर. के. बघेल | प्रभारी कुलसचिव एवं सचिव |

बैठक प्रारंभ करने के पूर्व माननीय कुलपतिजी द्वारा कार्यपरिषद के नवागत सदस्य श्रीमती अमृता सोलंकी एवं प्रो. रमेश जाटवा का पुष्पगुच्छ भेंट कर स्वागत किया गया।

विषय क्र.01. कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 24.03.2018 के कार्यविवरण की पुष्टि पर विचार।

निर्णय :– निर्णय लिया गया कि कार्यपरिषद् की विगत बैठक दिनांक 24 मार्च, 2018 के कार्यविवरण की पुष्टि की गई।

(क्रियान्वयन–अकादमिक विभाग)

विषय क्र.02. विद्यापरिषद् की स्थाई समिति की बैठक दिनांक 20.04.2018, 04.05.2018, 11.05.2018, एवं 25.05.2018 के कार्य विवरणों पर विचार।
(कार्यविवरणों की प्रति संलग्न)

निर्णय :– निर्णय लिया गया कि विद्यापरिषद् की स्थाई समिति की बैठक दिनांक 20.04.2018, 04.05.2018, 11.05.2018, एवं 25.05.2018 के कार्यविवरण को अनुमोदित किया गया।

(क्रियान्वयन–अकादमिक विभाग)



E:-VU-27/6/2018

**विषय क्र.03.** शोध अभ्यार्थियों द्वारा प्रस्तुत शोध प्रबंधों के परिक्षकों की अनुशंसा के आधार पर प्रदान की गई पीएच.डी. उपाधि की सूचना।
(सूची पटल पर प्रस्तुत की जावेगी।)

**निर्णय :–** निर्णय लिया गया कि शोध अभ्यार्थियों द्वारा प्रस्तुत शोध प्रबंधों के परिक्षकों की अनुशंसा के आधार पर प्रदान की गई पीएच.डी. उपाधि की सूचना ग्राहय की गई।

**(क्रियान्वयन–अकादमिक विभाग)**

**विषय क्र.04.** विश्वविद्यालय में कार्यरत शिक्षकों, अधिकारियों एवं कर्मचारियों को 1 जनवरी, 2018 से देय महंगाई भत्ता प्रदान करने बाबत्।

**टिप्पणी :–** उपर्युक्त विषय में प्रस्तुत है कि म.प्र. शासन, वित विभाग, वल्लभ भवन, भोपाल के आदेश दिनांक 16 मई, 2018 के परिपालन में विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन में कार्यरत नियमित शिक्षकों को 01 जनवरी, 2018 से महंगाई भत्ता 3 प्रतिशत, अधिकारियों एवं कर्मचारियों को 01 जनवरी, 2018 से 31 मार्च, 2018 तक छठे वेतनमान से महंगाई भत्ता 3 प्रतिशत एवं दिनांक 01.04.2018 से सातवें वेतनमान में महंगाई भत्ते की दर 2 प्रतिशत देने हेतु कार्यालयीन आदेश दिनांक 24.05.2018 को प्रसारित किया गया है।
प्रकरण कार्यपरिषद के समक्ष सूचनार्थ प्रस्तुत।

**निर्णय :–** निर्णय लिया गया कि विश्वविद्यालय में कार्यरत शिक्षकों, अधिकारियों एवं कर्मचारियों को 1 जनवरी, 2018 से देय महंगाई भत्ता प्रदान करने संबंधी सूचना ग्राहय की गई।

**(क्रियान्वयन–प्रशासन विभाग)**

**विषय क्रं. 05.** विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन में कार्यरत दैनिक वेतन भोगी के दिवंगत होने पर आश्रित सदस्यों को अनुग्रह राशि रू. दो लाख भुगतान करने पर विचार।

**टिप्पणी :–** मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, भोपाल के आदेश क्रं. सी–3–12/2013/1/3 भोपाल, दिनांक 29 सितम्बर, 2014 के बिन्दु क्रं. 11.1 में निम्नानुसार उल्लेख है:–
"कार्यभारित/आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले एवं दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों के दिवंगत होने पर अनुकम्पा नियुक्ति की पात्रता नहीं होगी परन्तु उनके परिवार के आश्रित नामांकित सदस्य को एक मूश्त राशि रू. दो लाख की राशि अनुकम्पा अनुदान के नाम से दी जाएगी। उसमें ग्रेज्युटी के राशि सम्मिलित नहीं होगी इस राशि का भुगतान संबंधित विभाग के कार्यभारित/आकस्मिकता के मद के अंतर्गत वेतन मद से किया जावेगा।"
अतः विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन में दिवंगत दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों के आश्रितों को शासन के उपरोक्त नियमानुसार राशि रूपये दो लाख एक मुश्त भुगतान की स्वीकृति प्रदान किए जाने हेतु प्रकरण कार्यपरिषद के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत।

**निर्णय :–** निर्णय लिया गया कि विश्वविद्यालय में कार्यरत दैनिक वेतन भोगी के दिवंगत होने पर आश्रित सदस्यों को अनुग्रह राशि रू. दो लाख भुगतान करने शासन के निर्णय को अंगीकृत किया गया।

**(क्रियान्वयन–प्रशासन विभाग)**

**विषय क्रं. 06.** विश्वविद्यालय गैर शिक्षकीय अधिकारी एवं कर्मचारियों की अधिवार्षिकी आयु म.प्र. शासकीय सेवक के समान 62 वर्ष करने पर विचार।

**टिप्पणीः–** उपर्युक्त विषय में प्रस्तुत है कि म.प्र. शासन, ने अध्यादेश क्रं. 4 सन् 2018 म.प्र. शासकीय सेवा (अधिवार्षिकी आयु) में संशोधन कर म.प्र. राजपत्र में प्रकाशन दिनांक 31.03.18 को प्रकाशित किया गया, जिसमें म.प्र. शासकीय सेवकों की सेवानिवृत्ति आयु 60 वर्ष के स्थान पर 62 वर्ष कर दी गई है।

विश्वविद्यालय गैर शिक्षकीय कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की आयु परिनियम 31 (संलग्न–2) (विश्वविद्यालय में प्रचलित समान परिनियम) की कंडिका 3 (ए) जो कि निम्नानुसार उद्वत है, भी अवलोकनीय हैः–

" 3(a) The age of retirement of a University officers and employees ( Non-teaching) shall be at par with the state Govt. employees."

उक्त म.प्र. राजपत्र दिनांक 31.03.2018 में सेवानिवृत्ति की आयु के संशोधन के संबंध में विक्रम विश्वविद्यालय में कार्यरत अधिकारी/तृतीय श्रेणी कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति 60 के स्थान पर 62 करने के आदेश प्रदान करने के संबंध में अतिरिक्त, प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल को पत्र प्रेषित किया गया।

प्रकरण कार्यपरिषद के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत।

**निर्णय :–** निर्णय लिया गया कि विश्वविद्यालय गैर शिक्षकीय अधिकारी एवं कर्मचारियों की अधिवार्षिकी आयु म.प्र. शासकीय सेवक के समान 62 वर्ष करने के संबंध में म.प्र. शासन, उच्च शिक्षा विभाग से मार्गदर्शन प्राप्त किया जाए।

**(क्रियान्वयन–प्रशासन विभाग)**

**विषय क्रं. 07.** विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन में कार्यरत गैर शिक्षकीय अधिकारियों/कर्मचारियों को सांतवा वेतनमान प्रदान करने बाबत्।

**टिप्पणी :–** 1. कार्यपरिषद की बैठक दिनांक 07.11.17 में सातवें वेतनमान के संबंध में निम्नानुसार निर्णय लिया गयाः–

"निर्णय लिया गया कि विश्वविद्यालय में कार्यरत नियमित कर्मचारियों को सातवां वेतनमान शासन के आदेश के परिप्रेक्ष्य में प्रदान किए जाने की सैद्धांतिक स्वीकृति प्रदान की गई। यह भी निर्णय लिया गया कि शासन से विश्वविद्यालय के लिए सातवें वेतन आयोग बाबत् स्वीकृत पत्र प्राप्त होने के पश्चात् तदनुसार भुगतान की कार्यवाही की जाए।

2. मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल के आदेश क्रं. एमफ–1/2/2018/38–3, भोपाल दिनांक 07.04.18 के परिपालन एवं म.प्र. शासन, वित्त विभाग के आदेश क्रं. एफ 4–1/2017/नियम/चार भोपाल, दिनांक 30.11.2017 के तारतम्य में विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन में कार्यरत गैर शिक्षकीय अधिकारियों/कर्मचारियों को सातवां वेतनमान एवं 5 प्रतिशत महंगाई भत्ता दिनांक 01.04.2018 से कार्यालयीन आदेश क्रं./प्रशासन/संस्थापन/2018/2599, दि. 26.04.2018 द्वारा प्रदान किया गया है। प्रकरण कार्यपरिषद के समक्ष सूचनार्थ प्रस्तुत।

**निर्णय :–** निर्णय लिया गया कि विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन में कार्यरत गैर शिक्षकीय अधिकारियों/कर्मचारियों को सांतवा वेतनमान प्रदान करने संबंधी सूचना ग्राहय की गई।

**(क्रियान्वयन–प्रशासन विभाग)**

**विषय क्रं. 08.** देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इंदौर के अध्यादेश नं. 84 डिप्लोमा इन गाईडेन्स एण्ड काउन्सिलिंग को अंगीकृत करने पर विचार।

**टिप्पणीः–** विद्यापरिषद की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 08.12.2017 के निर्णयानुसार देवी अहिल्या विश्वविद्यालय के अध्यादेश क्रंमांक 84 डिप्लोमा इन गाईडेन्स एण्ड काउन्सिलिंग को अंगीकृत करने हेत प्रकरण कार्यपरिषद के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत।

**निर्णय :–** निर्णय लिया गया कि देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इंदौर के अध्यादेश नं. 84 डिप्लोमा इन गाईडेन्स एण्ड काउन्सिलिंग को अंगीकृत किया जाए एवं विश्वविद्यालयों की समन्वय समिति के समक्ष सूचनार्थ प्रेषित किया जाए।

**(क्रियान्वयन–अकादमिक विभाग)**

**विषय क्रं. 09.** श्री विक्रम सिंह परिहार, भृत्य, अर्थशास्त्र अ.शा. की गंभीर बीमारी हृदय संबंधी रोग के उपचार हेतु चिकित्सा व्यय राशि रू. 1,34,500/– की प्रतिपूर्ति की अनुमति के संबंध में विचार।

**टिप्पणी :–** उपर्युक्त विषय में प्रस्तुत है कि श्री विक्रम सिंह परिहार द्वारा प्रस्तुत हृदय संबंधी रोग हेतु व्यय की प्रतिपूर्ति के संबंध में सिविल सर्जन, स्वास्थ्य विभाग, जिला चिकित्सालय, उज्जैन को कार्यालयीन पत्र क्रमांक/प्रशासन/संस्थापन/2017/1660, दिनांक 21.11.2017 को प्रेषित किया गया था जिसके प्रति उत्तर में सिविल सर्जन, स्वास्थ्य विभाग, जिला चिकित्सालय, उज्जैन से प्राप्त पत्र क्रं/एमआर/2017/19855, दिनांक 19.12.2017 द्वारा सूचित किया कि डॉ. सी.एम.पुराणिक, स्पेशलिस्ट, मेडिसीन, जिला चिकित्सालय, उज्जैन चिकित्सा प्रतिपूर्ति का अवलोकन (परीक्षण) किया गया है कि श्री विक्रम सिंह परिहार, वि.वि. उज्जैन को हृदय रोग होने के कारण सी.एच.एल. अपोलो चिकित्सालय, इंदौर में आपरेशन किया गया एवं कराया गया उपचार उचित है। हृदयघात गंभीर बीमारी की श्रेणी में आता है। अतः नियमानुसार भुगतान की कार्यवाही की जावे।

उक्त संबंध में प्रस्तुत है कि म.प्र. शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय का पत्र क्रं. डी/3002/3366/98/सी–3/38, भोपाल दिनांक 17.09.98 द्वारा गंभीर बीमारी में होने वाले चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति के संबंध में विश्वविद्यालय समन्वय समिति की 55वीं बैठक दिनांक 8 मार्च, 1997 और 58वीं बैठक दिनांक 3.06.1998 में लिए गए निर्णय अनुसार हृदय बायपास सर्जरी, गुर्दा प्रत्यारोपण, ब्रेन ट्यूमर, केंसर, डायलेसिस जैसी गंभीर बीमारियों के कारण हास्पिटिलाईजेशन पर होने वाले व्यय की पूर्ति समस्त विश्वविद्यालय द्वारा उन्हीं शर्तों एवं नियमों के अनुसार की जाए जो कि राज्य शासन के अधिकारियों/कर्मचारियों को लागू होते हैं।

अतः चिकित्सा प्रतिपूर्ति हेतु प्रकरण कार्यपरिषद में विचारार्थ प्रस्तुत।

**निर्णय :–** निर्णय लिया गया कि श्री श्री विक्रम सिंह परिहार, भृत्य, अर्थशास्त्र अ.शा. की गंभीर बीमारी हृदय संबंधी रोग के उपचार हेतु चिकित्सा व्यय राशि रू. 1,34,500/– व्यय की प्रतिपूर्ति म.प्र. शासन के नियमानुसार प्रदान की जाए।

**(क्रियान्वयन–प्रशासन विभाग)**

**विषय क्रं.10.** क्रय समिति की अनुशंसाओं पर विचार।

**टिप्पणीः–** कार्यपरिषद की बैठक दिनांक 07.11.2017 में निर्णय लिया गया था कि "क्रय समिति की अनुशंसा के परिप्रेक्ष्य में (पूर्ण एवं पश्चात् परीक्षा परिणाम कार्य) (Pre&Post Examination Result Processing) कार्य हेतु निर्धारित बजट प्रावधान के अंतर्गत आवश्यकतानुसार वास्तविक व्यय की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान करते हुए परीक्षा परिणाम बनाने वाली फर्म से वर्तमान दर रू. 13.80 से 10 प्रतिशत अधिक दर पर कार्य संपादित करवाये जाने बाबत् प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की गई थी।

कार्यपरिषद के निर्णय के अनुसार इर्मज डाटा सर्विस प्रा.लि. नागपुर का विश्वविद्यालय के आदेश क्रं. 2061 दिनांक 10.12.17 को कार्य आदेश जारी किया गया (I,III,V&VII Sem. हेतु) कार्यपरिषद द्वारा दर निर्धारित की गई थी।

इर्मज डाटा सर्विस प्रा. लि. नागपुर से प्राप्त पत्र क्रं.18-19EDSPL:RP:00 date 30/05/18 के द्वारा नई दरें प्रस्तुत की है जो मान्य नहीं की जा सकती है।

इर्मज डाटा सर्विस प्रा. लि. नागपुर को वार्षिक (II, IV, VI & VII Sem.) का परीक्षा का वर्क आर्डर पूर्व में कार्यपरिषद द्वारा स्वीकृत दर के अनुसार जारी करने की स्वीकृति के प्रकरण को कार्यपरिषद में संपुष्टि रखे जाने हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत है।

**निर्णय :–** निर्णय लिया गया कि इर्मज डाटा सर्विस प्रा. लि. नागपुर को वार्षिक (II, IV, VI & VII Sem. का ) परीक्षा का वर्क आर्डर पूर्व में कार्यपरिषद द्वारा स्वीकृत दरों के अनुसार ही जारी किया जाए।

**(क्रियान्वयन–परीक्षा/भण्डार विभाग)**

**विषय क्रं.11.** प्रदेश के विभिन्न विश्वविद्यालयों में प्रचलित अध्यादेशों एवं परिनियमों की मान्य प्रति पर विचार।

**टिप्पणी :–** म.प्र. शासन उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, भोपाल से प्राप्त पत्र क्रं. 449/503/सीसी/17/38 भोपाल, दिनांक 21.05.2018 के संबंध में विश्वविद्यालयों में प्रचलित अध्यादेशों एवं परिनियमों (अध्यादेश क्रं. 1, 2, 3 ,6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 एवं परिनियम क्रं. 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 37, 39, 40, 41, 42) की मान्य प्रति एवं म.प्र.शासन, उच्च शिक्षा विभाग से प्राप्त पत्र क्रं. 525/72/सी.सी./2018 भोपाल दिनांक 04.06.18 के द्वारा समन्वय समिति की 94 वीं बैठक दिनांक 10.05.2018 में अध्यादेश क्रं. 4, 4 (सी), 4(डी) एवं परिनियम क्रं. 01, 01(ए) 27, 28, 36, 38 को मान्य किया गया। एतर्थ सूचनार्थ।

**निर्णय :–** निर्णय लिया गया कि म.प्र. शासन, उच्च शिक्षा विभाग के परिपत्र दिनांक 21.5.2018 एवं परिपत्र दिनांक 04.06.2018 के अनुसार एकीकृत अध्यादेशों एवं परिनियमों को अंगीकृत किया गया।

**(क्रियान्वयन–अकादमिक विभाग)**

**विषय क्रं. 12.** श्री एस.एल. मालवीय वित्त नियंत्रक विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन को सातवें वेतनमान के अनुसार एरियर की राशि के भुगतान के विषय में प्रकरण विचारार्थ प्रस्तुत।

**टिप्पणी :–** उपर्युक्त विषय में प्रस्तुत है कि डॉ. एस.एल. मालवीय, वित्त नियंत्रक, विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन को कार्यालयीन संभागीय संयुक्त कोष एवं लेखा, उज्जैन संभाग, उज्जैन के आदेश क्रमांक/स्थापना/2018/262, उज्जैन, दिनांक 15.03.2018 के परिपालन में विश्वविद्यालय के आदेश क्रमांक/प्रशासन/संस्थापन/2018/2551 दिनांक 20.04.2018 के द्वारा सातवें वेतनमान के भुगतान की स्वीकृति प्रदान की गई।

म.प्र. शासन उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल के आदेश क्रमांक/एफ–1/2/2018/38–3 भोपाल दिनांक 07.04.2018 के आदेश के परिपालन में म.प्र. शासन वित्त विभाग के आदेश क्रमांक/एफ 4–1/2017/नियम/चार भोपाल दिनांक 30.11.2017 के तारतम्य में विक्रम विश्वविद्यालय में कार्यरत गैर शिक्षकीय अधिकारी कर्मचारियों को सातवें वेतनमान में भुगतान दिनांक 01.01.2016 से काल्पनिक व दिनांक 01.04.2018 से नगद लाभ प्रदान किया जाने संबंधी आदेश प्रसारित किया गया है। वित्त नियंत्रक म.प्र. शासन वित्त विभाग से विश्वविद्यालय में केडर पोस्ट पर कार्य करते हैं।

प्रकरण कार्यपरिषद के समक्ष विचारार्थ।

निर्णय :– निर्णय लिया गया कि श्री एस.एल. मालवीय, वित्त नियंत्रक, विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन को म.प्र. शासन, वित्त विभाग के आदेशानुसार शासकीय कर्मचारियों की भांति नियमानुसार एरियर राशि के भुगतान की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की जाए।

**(क्रियान्वयन–प्रशासन/लेखा विभाग)**

**विषय क्रं. 13.** विद्युत/जलभार एवं वैल्डिंग केपीसीटर अधिभार से संबंधित आडिट कंडिकाओं के निराकृत हेतु प्रस्ताव।

**टिप्पणी :–** उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि विश्वविद्यालय की विद्युत एवं जल अधिभार/वैल्डिंग केपीसीटर अधिभार व्यय की वर्ष 1976–1977 से वर्ष 2013–2014 तक कुल 21 आपत्तियां ली गयी है, अतः इन कुल 21 आपत्तियों को निराकृत कर वसूली से मुक्ति हेतु प्रकरण कार्यपरिषद् के समक्ष प्रस्तुत।

**निर्णय :–** निर्णय लिया गया कि विश्वविद्यालय की विद्युत एवं जल अधिभार/वैल्डिंग केपीसीटर अधिभार व्यय की वर्ष 1976–1977 से वर्ष 2013–2014 तक कुल 21 आपत्तियां ली गयी है। अतः इन कुल 21 आपत्तियों को निराकृत कर वसूली से मुक्ति हेतु मान्य की गई।

**(क्रियान्वयन–लेखा विभाग)**

## अध्यक्ष महोदय की अनुमति से अन्य विषय पर विचार।

**विषय क्रं.01.** विद्यापरिषद की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 13.06.2018 के कार्यविवरण पर विचार।

**निर्णय :–** निर्णय लिया गया कि विद्यापरिषद की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 13.06.2018 के कार्यविवरण को अनुमोदित किया गया।

**(क्रियान्वयन–अकादमिक विभाग)**

**विषय क्रं.02.** प्रोविजनल देयक संबंधित ऑडिट कंडिकाओं के निराकृत हेतु प्रस्ताव कार्यपरिषद के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत।

**टिप्पणी :–** उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि सहायक संचालक, स्थानीय निधि संपरीक्षा द्वारा वर्ष 1980–1981 से 2004–2005 तक अंकेक्षण से प्रोविजनल देयक पारित किये गये थे एवं तत्पश्चात् अंकेक्षण द्वारा आडिट आपत्ति भी जारी कर दी गयी। अतः उपरोक्त वर्षों की कुल 13 आपत्तियों को निराकृत करने की अनुशंसा हेतु प्रकरण कार्यपरिषद् के समक्ष प्रस्तुत है।

**निर्णय :–** निर्णय लिया गया कि सहायक संचालक, स्थानीय निधि संपरीक्षा द्वारा वर्ष 1980–1981 से 2004–2005 तक अंकेक्षण से प्रोविजनल देयक पारित किये गये थे एवं तत्पश्चात् अंकेक्षण द्वारा आडिट आपत्ति भी जारी कर दी गयी। अतः उपरोक्त वर्षों की कुल 13 आपत्तियों को निराकृत करने की अनुशंसा मान्य की जाए।

**(क्रियान्वयन–लेखा विभाग)**

**विषय क्रं.03.** डॉ. राकेश ढण्ड को अधिष्ठाता विद्यार्थी कल्याण विभाग, विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन के पद पर कार्यवधि बढ़ाई जाने के संबंध में प्रकरण कार्यपरिषद् के समक्ष सूचनार्थ प्रेषित।

**टिप्पणीः–** उक्त संदर्भ में प्रस्तुत है कि डॉ. राकेश कुमार ढण्ड प्राध्यापक, वाणिज्य, माधव महाविद्यालय, उज्जैन को विश्वविद्यालय के आदेश क्रं./प्रशासन/संस्थापन/2004/1924 दिनांक 24.08.2004 के द्वारा एक वर्ष के लिए अधिष्ठाता विद्यार्थी कल्याण के पद पर नियुक्ति प्रदान की गई। इनके द्वारा दिनांक 09.09.2004 को अधिष्ठाता के पद पर कार्यग्रहण किया। कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 14.12.2004 के निर्णयानुसार एवं विश्वविद्यालय के आदेश क्रमांक 3893 दिनांक 04.02.2005 के द्वारा 03 वर्ष के लिये अधिष्ठाता विद्यार्थी कल्याण के पद पर कार्य ग्रहण दिनांक 09.09.2004 से 03 वर्ष के लिये नियुक्त किया गया। कार्यपरिषद की बैठक दिनांक 19.10.2010 के विषय क्रं. 09 निर्णय :– "कुलपति महोदय की अनुशंसा पर डॉ. राकेश ढण्ड, संकायाध्यक्ष, वि.क.वि. के कार्यकाल में दिनांक 10.09.2010 से आगामी 03 वर्षों के लिये वृद्धि मान्य की गई।" उक्त निर्णयानुसार विश्वविद्यालय के आदेश क्रं. 2189 दिनांक 11.12.2007 से दिनांक 10.09.2010 से आगामी 03 वर्ष के लिये इनके कार्यकाल में वृद्धि की गई। विश्वविद्यालय के आदेश क्रमांक 1132 दिनांक 30.08.2013 को कार्यपरिषद की स्वीकृति की प्रत्याशा में दिनांक 10.09.2013 से आगामी आदेश तक अधिष्ठाता विद्यार्थी कल्याण के पद पर पुनः नियुक्ति प्रदान की गई।

विश्वविद्यालीन परिनियम 04 की कंडिका क्रं. 01 निम्नानुसार उद्वत हैः–

"The Dean of Student Welfare shall be appointed for a tern of three years and shall be eligible for reappointment."

प्रकरण कार्यपरिषद के सूचनार्थ एवं विचारार्थ।

**निर्णय :–** निर्णय लिया गया कि डॉ. राकेश ढण्ड, अधिष्ठाता विद्यार्थी कल्याण विभाग, विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन के सम्पूर्ण प्रकरण से म.प्र. शासन, उच्च शिक्षा विभाग, भोपाल को अवगत कराते हुए मार्गदर्शन प्राप्त किया जाए।

**(क्रियान्वयन–प्रशासन विभाग)**

**विषय क्रं. 04.** विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन में कार्यरत दैनिक वेतन भोगी की दैनिक वेतन दरों की वृद्धि पर विचार।

**टिप्पणी :–** उपर्युक्त विषय में कार्यालय कलेक्टर, जिला उज्जैन के आदेश क्रं./वित्त–3/2018/3306 उज्जैन दिनांक 01.05.2018 के द्वारा विभिन्न शासकीय विभागों में कार्यरत दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों के लिए परिवर्तनशील मंहगाई भत्ते सहित मासिक एवं दैनिक वेतन की दरे दिनांक 01.04.2018 से निर्धारित की गई है।

उक्त आदेश के अनुसरण में विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन में कार्यरत दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को दि. 01.04.2018 से प्रदान की जाने वाली अधिकतम दर निर्धारित करने हेतु प्रकरण कार्यपरिषद के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत।

**निर्णय :–** निर्णय लिया गया कि दैनिक वेतन भोगी की कार्यालय कलेक्टर, जिला उज्जैन के आदेश क्रं./वित्त–3/2018/3306 उज्जैन दिनांक 01.05.2018 के द्वारा विभिन्न शासकीय विभागों में कार्यरत दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों के लिए परिवर्तनशील मंहगाई भत्ते सहित मासिक एवं दैनिक वेतन की दरे दिनांक 01.04.2018 से निर्धारित दरें विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन के दैनिक वेतन भोगी के लिये भी मान्य की जाए।

**(क्रियान्वयन–प्रशासन विभाग)**

**विषय क्रं.05.** विश्वविद्यालय में ई–गर्वनेन्स के अंतर्गत IUMS (इन्ट्रीग्रेटेड यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट सिस्टम) विकसित करने हेतु जारी तृतीय ई–निविदा पर CEC ( Counsultancy Evaluation Committee) एवं ई–गर्वनेन्स टेक्नीकल समिति की संयुक्त बैठक दिनांक 26.06.2018 में समिति द्वारा की गई अनुशंसा पर विचार।

**टिप्पणी :–** विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन द्वारा विश्वविद्यालय समन्वय समिति की 93 वी बैठक दिनांक 25/ 10/2017 के कार्यवाही विवरण के विषय क्रमांक 05 में लिए निर्णय के परिपालन में विश्वविद्यालय में IUMS विकसित करने बाबत् कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 07.11.2017 के विषय क्रमांक 01 पर पदत्त स्वीकृति अनुसार IUMS हेतु विश्वविद्यालय द्वारा वित्त मंत्रालय भारत सरकार के Manual of Policies and Procedure of Employment of Consultants के तहत CQCCBS (Combined Quality cum Cost Based System) पद्धति के अंतर्गत विश्वविद्यालय द्वारा IUMS के तकनीकी पहलुओं को देखते हुए कार्यवाही हेतु CEC ( Counsultancy Evaluation Committee) एवं ई–गर्वनेन्स टेक्नीकल समिति तथा CMC ( Counsultancy MonitoringCommittee) का गठन किया गया।

इसके पश्चात् विश्वविद्यालय द्वारा IUMS हेतु तीन बार ई–निविदाएं जारी की गई दिनांक 23.03.2018 की कार्यपरिषद् की बैठक के विषय क्रं. 07 पर भी IUMS की अद्धतन प्रक्रिया की सूचना दी गई। प्रथम ई–निविदा में एक मात्र फर्म योग्य पाई जाने एवं द्वितीय ई–निविदा में भी एक मात्र फर्म योग्य पाई जाने तथा उसकी दरें अत्यधिक होने के कारण कुछ संशोधनों के साथ तृतीय ई–निविदा जारी की गई। तृतीय ई–निविदा पर CEC एवं ई–गर्वनेन्स तथा टेक्नीकल समिति के कार्यविवरण में समिति की अनुशंसाओं पर विचार किया जाना है।

**विवरण :–** विश्वविद्यालय में ई–गर्वनेन्स के अंतर्गत IUMS (इन्ट्रीग्रेटेड यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट सिस्टम) विकसित करने हेतु जारी तृतीय ई–निविदा पर CEC ( Counsultancy Evaluation Committee) एवं ई–गर्वनेन्स टेक्नीकल समिति की संयुक्त बैठक दिनांक 26.06.2018 में समिति द्वारा की गई 21 बिन्दुओं की अनुशंसा से परिषद अवगत हुई।

कार्यविवरण के निम्नानुसार बिन्दुओं पर विशेष चर्चा हुई :–

(I) सी.ई.सी. तथा ई–गर्वनेन्स एवं टेक्नीकल समिति की संयुक्त बैठक दिनांक 26.03.18 में तीनों कम्पनियों (ITI Ltd., New Delhi, Crisp, Bhopal & M.P. Online, Bhopal) के प्रस्तुतिकरण एवं कार्यस्थल पर आईयूएमएस अन्तर्गत किये जा रहे कार्यो का निरीक्षण प्रतिवेदन के आधार पर समिति द्वारा इन तीनों कम्पनियों की तकनीकी बिड को योग्य पाया गया। अतः समिति द्वारा इन तीनों कम्पनियों को अपना तकनीकी/वित्तीय प्रस्ताव दिये जाने के लिये RFP दिनांक 04.04.18 को जारी किया गया। RFP को विश्वविद्यालय की वेबसाईट तथा खुली निविदा हेतु ई–टेडरिंग प्रणाली का उपयोग करते हुये म.प्र. शासन की बेवसाईट (mpeproc.gov.in) पर अपलोड किया गया।

(II) RFP की अंतिम तिथि दिनांक 02.05.18 तक केवल एक कम्पनी ITI Ltd., New Delhi द्वारा ही अपनी तकनीकी निविदा सीलबन्द लिफाफे में तथा अपनी वित्तीय निविदा ऑनलाईन म.प्र. शासन की वेबसाईट (mpeproc.gov.in) पर प्रस्तुत की गयी। M.P. Online, Bhopal द्वारा अपने ई–मेल से भेजे गये पत्र दिनांक 06.04.18 द्वारा यह सूचित किया गया कि वह टेण्डर प्रोसेस एवं ईएमडी जमा करने के लिये अधिकृत नहीं है। Crisp, Bhopal द्वारा RFP की अंतिम दिनांक तक अपना कोई प्रस्ताव (तकनीकी/वित्तीय) प्रस्तुत नहीं किया गया। इस प्रकार द्वितीय आमंत्रण में मात्र एक कम्पनी ITI, Ltd., New Delhi द्वारा ही अपनी तकनीकी/वित्तीय निविदा प्रस्तुत की गई।

(III) सीईसी तथा ई–गर्वेनेंस एवं टेक्नीकल समिति की संयुक्त बैठक दिनांक 09.05.18 में द्वितीय आमंत्रण में ITI, Ltd., New Delhi से ऑलनाईल प्राप्त वित्तीय दर को खोला गया। समिति ने पाया कि ITI, Ltd., New Delhi द्वारा आईयूएमएस के कुल 52 मॉड्यूल संसाधन सहित को विकसित कर संचालित करने के लिये Item Wise एवं कार्य की प्रकृति अनुसार चार प्रकार की दरें :–

1. रूपये 607/– 2. रूपये 623/– 3. रूपये 627/– 4. रूपये 647/–

प्रतिछात्र दी गयी।

(IV) म.प्र. भण्डार क्रय एवं सेवा उपार्जन नियम, 2015 की कंडिका 12 के अनुसार **"आमंत्रित निविदा में एक मात्र पात्र निविदाकर्ता की दरें भी दरों की उपयुक्तता के परीक्षण उपरांत बाजार दर के अनुरूप पाये जाने की दशा में स्वीकार की जा सकेगी।"** चूंकि खुली निविदा आमंत्रण में केवल एक कम्पनी द्वारा ही अपनी दरें दी है, लेकिन इस कम्पनी से प्राप्त दरें बाजार दर से काफी अधिक है एवं दरों की तुलना की स्थिति नहीं बन रही थी। अतः मॉड्यूल्य में समूचित सुधार कर प्रक्रिया अन्तर्गत तृतीय निविदा जारी की गई।

(V) तृतीय खुली निविदा में केवल ITI, Ltd., New Delhi द्वारा निविदा प्रस्तुत की गई। जिसमें 32 मॉड्यूल्स हेतु प्रति छात्र दर (जो स्टेशनरी/सामग्री सहित है) रूपये 349/-- बाजार दर के अनुरूप न होते हुए कुछ अधिक है।

(VI) अतः उच्च क्रय समिति एवं ITI, Ltd., New Delhi के प्रतिनिधि के बीच संधिवार्ता हुई। संधिवार्ता उपरान्त कम्पनी द्वारा वार्षिक दर रूपये 325/– (स्टेशनरी सामग्री सहित) प्रतिछात्र दिये जाने पर सहमति दी गई, जो बाजार दर के समतुल्य है।

समिति की बैठक का कार्यविवरण संलग्न है। (संलग्न परिशिष्ट–एक)

**निर्णय :–** उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में IUMS (इन्ट्रीग्रेटेड यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट सिस्टम) पर सदस्यों के साथ विस्तृत चर्चा उपरान्त कार्यपरिषद के सदस्यों ने एकमत से स्वीकार किया कि, वर्तमान परिप्रेक्ष्य में यह व्यवस्था विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों के हित में है। सम्पूर्ण विचारोपरांत निर्णय लिया गया कि ई–गर्वनेन्स तथा टेक्नीकल समिति के कार्यविवरण में समिति की अनुशंसाएं मान्य की गई एवं ITI, Ltd., New Delhi द्वारा विश्वविद्यालय में आईयूएमएस अन्तर्गत कुल 32 माड्यूल्स विकसित एवं संचालित करने हेतु वार्षिक दर रूपये 325/– (स्टेशनरी सामग्री सहित) प्रतिछात्र मान्य किया गया।

साथ ही यह भी निर्णय लिया गया कि, इन्ट्रीग्रेटेड यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट सिस्टम का उद्घाटन दिनांक 30.6.2018 को महामहिम राज्यपाल महोदया के द्वारा किया जाए।

**(क्रियान्वयन–भण्डार/विकास विभाग)**

**विषय क्रं.06.** विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन में लोकपाल की नियुक्ति पर विचार।

**टेप्पणी :–** म.प्र. शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, भोपाल के कुलपति, विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन को संबोधित पत्र क्रं. एफ 01/06/2017/38–3 भोपाल, दिनांक 31.05.2018 के अनुसार विश्वविद्यालयों में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (शिकायत निवारण) विनियम 2012, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम 1956 (3: 1956) अनुसार उच्च शिक्षा विभाग अंतर्गत संचालित म.प्र. के राज्य एवं निजी विश्वविद्यालयों में छात्रों की शिकायतों के निराकरण के लिये लोकपाल की नियुक्ति हेतु प्राप्त आवेदन पत्रों पर अन्वेषण समिति की बैठक दिनांक 30.05.2018 को मंत्रालय में आयोजित की गई। विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन में लोकपाल नियुक्ति हेतु समिति द्वारा अनुशंसित पैनल सदस्यों को विश्वविद्यालय में आमंत्रित कर किसी एक की नियुक्ति संबंधी कार्यवाही एक माह के अन्दर करते हुए शासन को सूचित किया जाना है। प्रकरण कार्यपरिषद के समक्ष सूचनार्थ एवं विचारार्थ प्रस्तुत।

**निर्णय :–** निर्णय लिया गया कि म.प्र. शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, भोपाल के कुलपति, विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन को संबोधित पत्र क्रं. एफ 01/06/2017/38–3 भोपाल, दिनांक 31.05.2018, विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन में लोकपाल की नियुक्ति संबंधी, की सूचना ग्राहय की गई।

**(क्रियान्वयन–प्रशासन विभाग)**

**विषय क्रं.07.** विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन में शिक्षकीय बैकलाग एवं अनारक्षित प्रवर्ग में शिक्षकों के रिक्त पदों की पूर्ति हेतु रिक्त पदों का विज्ञापन किए जाने हेतु प्रकरण पर विचार।

**टिप्पणी :–** विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन के शिक्षकीय बैकलाग एवं अनारक्षित प्रवर्गों के शिक्षकों के रिक्त पदों पर विज्ञापन जारी करने हेतु माननीय कुलपतिजी द्वारा समिति का गठन किया गया है। गठित समिति के द्वारा शिक्षकीय बैकलाग एवं अनारक्षित प्रवर्गों के शिक्षकों के रिक्त पदों की गणना कर समिति की अनुशंसा अनुसार शिक्षकीय रिक्त पदों का विज्ञापन का प्रारूप तैयार किया जाना है। प्रकरण कार्यपरिषद के समक्ष सूचनार्थ एवं विचारार्थ प्रस्तुत।

**निर्णय :–** निर्णय लिया गया कि शिक्षकीय बैकलाग एवं अनारक्षित प्रवर्ग में शिक्षकों के रिक्त पदों की पूर्ति हेतु रिक्त पदों का विज्ञापन दो चरणों में जारी किया जाए।

**(क्रियान्वयन–प्रशासन विभाग)**

**विषय क्रं.08.** भवन समिति की बैठक दिनांक 17.05.2018 के कार्य–विवरण के सरल क्रं. 6 एवं 7 प्रस्ताव पर विचार।

**निर्णय :–** निर्णय लिया गया भवन समिति की बैठक दिनांक 17.05.2018 के कार्य–विवरण के सरल क्रं. 6 एवं 7 प्रस्ताव पर समिति की अनुशंसा मान्य की गई।

**(क्रियान्वयन–यांत्रिकी विभाग)**

**वेषय क्रं.09.** विश्वविद्यालय के सम्पूर्ण परिसर (होस्टल एवं आवासीय परिसर भी सम्मिलित) को 24 घण्टे वाई फाई पर विचार।

**नेर्णय :–** निर्णय लिया गया कि विश्वविद्यालय के सम्पूर्ण परिसर (होस्टल एवं आवासीय परिसर भी सम्मिलित) को 24 घण्टे वाई फाई की सुविधा प्राप्त करने कार्यवाही शासकीय एजेन्सी के माध्यम से कराई जाए।

**(क्रियान्वयन–भण्डार/यांत्रिकी विभाग)**

**ि षय क्रं.10.** विश्वविद्यालय के सम्पूर्ण परिसर (प्रशासकीय विभाग, समस्त अध्ययनशाला, होस्टल एवं आवासीय परिसर भी सम्मिलित) पर सी.सी.टी.वी. कैमरे लगाए जाने पर विचार।

**नि र्णय :–** निर्णय लिया गया कि विश्वविद्यालय के सम्पूर्ण परिसर (प्रशासकीय विभाग, समस्त अध्ययनशाला, होस्टल एवं आवासीय परिसर भी सम्मिलित) पर सी.सी.टी.वी. कैमरे स्थापित करने की कार्यवाही शासकीय एजेन्सी के माध्यम से कराई जाए।

**(क्रियान्वयन–भण्डार/यांत्रिकी विभाग)**

**वि य क्रं.11.** विश्वविद्यालय परिसर में सोलर सिस्टम लगाये जाने पर विचार।

**नि य :–** निर्णय लिया गया कि पी.पी.पी. मोड पर शासकीय एजेंसी के माध्यम से विश्वविद्यालय परिसर में सोलर सिस्टम का प्रस्ताव तैयार किया जाये।

**(क्रियान्वयन–भण्डार/यांत्रिकी विभाग)**

**विषय क्रं.12.** सतत शिक्षा विभाग में संचालित पत्रकारिता पाठ्यक्रम को हिन्दी अध्ययनशाला के अन्तर्गत संचालित किए जाने पर विचार।

**निर्णय :–** निर्णय लिया गया कि पत्रकारिता पाठ्यक्रम, जो वर्तमान में सतत शिक्षा विभाग के अन्तर्गत संचालित हो रहा है, उक्त पाठ्यक्रम को हिन्दी अध्ययनशाला के अन्तर्गत संचालित किये जाने के लिये माननीय कुलपतिजी को अधिकृत किया गया।

**(क्रियान्वयन–प्रशासन विभाग)**

**विषय क्रं.13.** प्रशासकीय विभाग एवं अध्ययनशलाओं के कम्प्युटरीकरण पर विचार।

**निर्णय :–** निर्णय लिया गया कि, विश्वविद्यालय में इन्ट्रीग्रेटेड यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट सिस्टम लागू किए जाने के साथ विश्वविद्यालय के सभी विभागों/अध्ययनशालाओं का कम्प्युटरीकरण किया जाए। यह भी निर्णय लिया गया कि कार्यालयीन कार्य को पेपरलेस किया जाये।

**(क्रियान्वयन–भण्डार विभाग)**

**विषय क्रं.14.** एम.ए. प्रथम सेमेस्टर अंग्रेजी की उत्तरपुस्तिका में पुर्नगणना के संबंध में प्राप्त शिकायत के संबंध में विचार।

**निर्णय :–** माननीय कुलपतिजी द्वारा कार्यपरिषद को अवगत कराया गया कि एम.ए प्रथम सेमेस्टर अंग्रेजी की उत्तरपुस्तिका में पुनर्गणना के संबंध में प्राप्त शिकायत के संबंध में दो सदस्यों की समिति का गठन किया गया था। चर्चा उपरान्त निर्णय लिया गया कि, विश्वविद्यालय द्वारा गठित उक्त समिति के स्थान पर शासन स्तर पर उच्च स्तरीय जांच के लिये म.प्र. शासन को पत्र प्रेषित किया जाए।

**(क्रियान्वयन–गोपनीय विभाग)**

**अध्यक्ष के प्रति धन्यवाद के साथ बैठक सम्पन्न हुई।**

**कुलपति**

**प्रभारी कुलसचिव**

# विक्रम विश्वविद्यालय,उज्जैन

क्रमांक/अकादमिक/सम्मिलन/2018/1209 दिनांक :- 01/09/18

प्रति,

माननीय कुलाधिपति एवं राज्यपाल के सचिव,
राजभवन,
भोपाल।

**विषय :- कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 29.08.2018 का कार्यविवरण विषयक।**

**महोदय,**

उपर्युक्त विषयान्तर्गत इस पत्र के साथ कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 29.08.2018 का कार्यविवरण आपकी ओर संलग्न प्रेषित किया जा रहा है।

**आदेशानुसार**

संलग्न :- उपरोक्तानुसार

**कुलसचिव**

क्रमांक/अकादमिक/सम्मिलन/2018/1210 दिनांक :- 01/09/18

**प्रतिलिपि :-**

01. कार्यपरिषद् के समस्त माननीय सदस्यगण।
02. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग,मंत्रालय,भोपाल।
03. आयुक्त, उच्च शिक्षा विभाग, सतपुड़ा भवन, भोपाल।

Saraswat

**अनुभाग अधिकारी (अकादमिक)**

# विक्रम विश्वविद्यालय,उज्जैन

क्रमांक/अकादमिक/सम्मिलन/2018/1866 दिनांक :-30/08/2018

कार्यपरिषद्
की
बैठक की कार्य विवरण

स्थान :- माधव भवन, उज्जैन

तिथि :- 29 अगस्त, 2018
समय :- अपरान्ह : 12:30 बजे

-:: उपस्थिति ::-

| | | |
|---|---|---|
| 01. | प्रो. एस.एस.पाण्डेय | कुलपति एवं अध्यक्ष |
| 02. | डॉ. ओ.पी. व्यास | सदस्य |
| 03. | डॉ. एच.पी. सिंह | सदस्य |
| 04. | डॉ. आशुतोष दुबे | सदस्य |
| 05. | श्री सुनील कुमार | सदस्य |
| 06. | श्री सुरेन्द्र गांधी | सदस्य |
| 07. | श्रीमती अमृता सोलंकी | सदस्य |
| 08. | डॉ. डी.के. बग्गा | प्रभारी कुलसचिव एवं सचिव |

**विषय क्र.01.** कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 27.06.2018 के कार्यविवरण की पुष्टि पर विचार।
(कार्यविवरण की प्रति संलग्न)

**निर्णय :-** निर्णय लिया गया कि कार्यपरिषद् की विगत बैठक दिनांक 27.06.2018 के कार्यविवरण में अध्यक्ष की अनुमति से विषय क्रमांक 5 के संबंध में माननीय कुलपतिजी द्वारा सम्माननीय सदस्यगणों सम्पूर्ण वस्तुस्थिति से अवगत कराया गया एवं निर्णय लिया गया कि महामहिम कुलाधिपति कार्यालय, राजभवन से आदेश प्राप्त होने पर तद्नुसार कार्यवाही की जावे। इसी प्रकार अध्यक्ष की अनुमति के अंतर्गत विषय क्र. 12 पर पूर्व बैठक में लिये गये निर्णय के संबंध में विस्तृत जानकारी कार्यपरिषद् की आगामी बैठक में प्रस्तुत की जावे। उपरोक्त संशोधन के साथ कार्यपरिषद की बैठक दिनांक 27.06.2018 के कार्यविवरण की पुष्टि की गई। **(क्रियान्वयन–अकादमिक विभाग)**

**वेषय क्र.02.** विद्यापरिषद् की स्थाई समिति की बैठक दिनांक 22.06.2018, 06.07.2018, 13.07.2018, 20.07.2018, 26.07.2018 एवं 10.08.2018 के कार्य विवरणों की पुष्टि पर विचार।
(कार्यविवरणों की प्रति संलग्न)

**नेर्णय :-** निर्णय लिया गया कि विद्यापरिषद् की स्थाई समिति की बैठक दिनांक 22.06.2018, 06.07.2018, 13.07.2018, 20.07.2018, 26.07.2018 एवं 10.08.2018 के कार्यविवरण की पुष्टि की गई। यह भी निर्णय लिया गया कि आवश्यक होने पर किसी निरीक्षण किये गये महाविद्यालय के संबंध में निरीक्षण समिति का प्रतिवेदन एवं निरीक्षण की विडियोग्राफी की रिकार्डिंग बैठक में प्रदर्शित की जावें। **(क्रियान्वयन–सम्बद्धता विभाग)**

**विषय क्र.03.** शोध अभ्यार्थियों द्वारा प्रस्तुत शोध प्रबंधों के परिक्षकों की अनुशंसा के आधार पर प्रदान की गई पीएच.डी. उपाधि की सूचना।
(सूची पटल पर प्रस्तुत की जावेगी।)

**निर्णय :–** निर्णय लिया गया कि शोध अभ्यार्थियों द्वारा प्रस्तुत शोध प्रबंधों के परीक्षकों की अनुशंसा के आधार पर प्रदान की गई पीएच.डी. उपाधि की सूचना ग्राहय की गई।

**(क्रियान्वयन–गोपनीय विभाग)**

**विषय क्रं. 04.** विश्वविद्यालय के प्रवेश संबंधी विज्ञापन हेतु म.प्र. माध्यम, भोपाल को रूपये 849097/– के भुगतान की स्वीकृति पर विचार।

**टिप्पणीः–** उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख है कि सत्र 2018–19 में विश्वविद्यालय में प्रवेश सूचना संबंधी विज्ञापन म.प्र. माध्यम, भोपाल के द्वारा राष्ट्रीय/राज्य स्तरीय समाचार–पत्रों में छपवाया गया था। म.प्र. माध्यम, भोपाल से निम्नानुसार दो देयक भुगतान हेतु प्राप्त हुये हैं :–

1. देयक क्रं./92021, दिनांक 09.07.2018 रूपये 849097/–

**कुल योग** **रूपये 849097/–**

अतः म.प्र. माध्यम, भोपाल को रूपये 849097/– के भुगतान की प्रशासकीय/वित्तीय स्वीकृति दिये जाने हेतु प्रकरण कार्यपरिषद् के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

**निर्णय :–** निर्णय लिया गया कि म.प्र. माध्यम, भोपाल को रूपये 8,49,097/– के भुगतान की प्रशासकीय/वित्तीय स्वीकृति की अनुमति प्रदान की गई। **(क्रियान्वयन– लेखा विभाग)**

**विषय क्रं. 05.** विश्वविद्यालय गैर शिक्षकीय कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु शासकीय सेवकों के समान करने पर विचार।

**टिप्पणी :–** उपर्युक्त विषय में प्रस्तुत है कि म.प्र. शासन, ने अध्यादेश क्रं. 4 सन् 2018 म.प्र. शासकीय सेवा (अधिवार्षिकी आयु) में संशोधन कर म.प्र. राजपत्र में प्रकाशन दिनांक 31.03.18 को प्रकाशित किया गया, जिसमें म.प्र. शासकीय सेवकों की सेवानिवृत्ति आयु 60 वर्ष के स्थान पर 62 वर्ष कर दी गई है।

विश्वविद्यालय गैर शिक्षकीय कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की आयु परिनियम 31 (संलग्न–2) (विश्वविद्यालय में प्रचलित समान परिनियम) की कंडिका 3 (ए) जो कि निम्नानुसार उद्वत है, भी अवलोकनीय है:–

" 3(a) The age of retirement of a University officers and employees( Non-teaching) shall be at par with the state Govt. employees."

उक्त म.प्र. राजपत्र दिनांक 31.03.2018 में सेवानिवृत्ति की आयु के संशोधन के संबंध में विक्रम विश्वविद्यालय में कार्यरत अधिकारी/तृतीय श्रेणी कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति 60 के स्थान पर 62 करने के आदेश प्रदान करने के संबंध में अतिरिक्त, प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल को पत्र प्रेषित किया गया।

कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 27.06.18 के विषय क्रं.–04 में लिये गये निर्णयानुसार अतिरिक्त प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, उच्चशिक्षा विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल को विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन में कार्यरत अधिकारी एवं गैर शिक्षकीय तृतीय श्रेणी कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति 60 वर्ष के स्थान पर 62 वर्ष करने के संबंध में मार्गदर्शन प्रदान करने हेतु पत्र दिनांक 28.07.18 को प्रेषित किया गया है। उक्त संबंध में शासन द्वारा मार्गदर्शन प्राप्त नहीं हुआ है।

रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, जबलपुर में कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 27.03.18 के निर्णयानुसार विश्वविद्यालय के समस्त तृतीय श्रेणी कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की अधिवार्षिकी आयु 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष करने संबंधी आदेश क्रं./स्था./2018/778 जबलपुर, दिनांक 19.07.18 को जारी किया गया, उसी प्रकार बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल द्वारा कार्यालयीन आदेश क्रं./1222/प्रशा./52/2017 भोपाल, दिनांक 30.07.18 को जारी किया गया। एतद् विचारार्थ।

**निर्णय :–** कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 27.06.2018 के विषय क्रं. 11 के अंतर्गत एकरूपता समिति द्वारा अनुमोदित परिनियमों को अंगीकृत किया गया। इन्हीं परिनियमों में शामिल परिनियम 31 की कंडिका 3 (ए) के प्रावधानानुसार निर्णय लिया गया कि "विश्वविद्यालय गैर शिक्षकीय कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु, शासकीय सेवकों के समान सेवानिवृत्ति आयु 60 वर्ष के स्थान पर 62 वर्ष करने संबंधी प्रस्ताव को दिनांक 27.06.2018 से मान्य किया गया"।

कार्यपरिषद् उपरोक्तानुसार इस आशय से अवगत हुई कि विश्वविद्यालय के निम्नानुसार कर्मचारी दिनांक 30.06.2018 को सेवानिवृत्त हो गये हैं:–

1. श्री कृष्णकांत जोशी, आर्किविस्ट
2. श्री ब्रजमोहन शर्मा, अनु. अधिकारी
3. श्रीमती बैकुण्ठी देवी वर्मा, उ.श्रे.लि.–2

उक्त तीनों सेवानिवृत्त कर्मचारियों के संबंध में निर्णय लिया गया कि परिनियम 31 की कंडिका 3 (ए) के प्रावधानानुसार एवं शासन के निर्णय के अनुसार उनकी सेवानिवृत्ति आयु 60 वर्ष के स्थान पर 62 वर्ष मान्य की जावे। यह भी निर्णय लिया गया कि दिनांक 30.06.2018 के पश्चात् से कार्यभार ग्रहण की अवधि को अवकाश में नियमानुसार समायोजित किया जाये।

**(क्रियान्वयन– प्रशासन विभाग)**

**विषय क्रं. 06.** डॉ. नागेश्वर राव, आचार्य, पं.ज.ने.व्यवसाय प्रबंध संस्थान के द्वारा कुलपति इंदिरागांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी नई दिल्ली के पद पर कार्यग्रहण करने हेतु स्वत्वभार की स्वीकृति के संबंध में।

**टिप्पणी :–** डॉ. नागेश्वर राव, पं.ज.ने.व्यवसाय प्रबंधन संस्थान विक्रम विश्वविद्यालय,उज्जैन की नियुक्ति इन्दिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, नई दिल्ली में कुलपति के पद पर मानव संसाधन विकास मंत्रालय,नई दिल्ली के पत्र संख्या F.No. 5-3/2017-DL, दिनांक 11.07.2018 द्वारा नियुक्त किए जाने के फलस्वरूप उक्त पद का कार्यग्रहण करने हेतु विश्वविद्यालय के आदेश क्रमांक/प्रशासन/संस्थापन/शिक्षकीय/2018/3274ए दिनांक 25.07.2018 को डॉ. राव को इस विश्वविद्यालय के कुलपति महोदय द्वारा दिनांक 25.07.2018 अपरान्ह से दो वर्ष का स्वत्वभार (Lien) कार्यपरिषद् के अनुमोदन की प्रत्याशा में स्वीकृत किया मया है। तद्नुसार डॉ. राव को इन्दिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी नई दिल्ली में कुलपति के पद पर कार्यग्रहण करने हेतु विश्वविद्यालय से दिनांक 25.07.2018 को अपरान्ह से कार्यमुक्त किया गया है। एतद् विचारार्थ।

**निर्णय :–** निर्णय लिया गया कि डॉ. नागेश्वर राव, आचार्य, पं.ज.ने.व्यवसाय प्रबंध संस्थान के द्वारा इंदिरागांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी नई दिल्ली के कुलपति पद पर कार्यग्रहण करने हेतु दिनांक 25.07.2018 को अपरान्ह से कार्यमुक्त कर दो वर्ष की कालावधि के लिये स्वत्वभार की स्वीकृति प्रदान की गई। **(क्रियान्वयन– प्रशासन विभाग)**

## अध्यक्ष की अनुमति से अन्य विषय पर विचार

**विषय क्रं. 01 विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन मे कार्यरत् शिक्षक/अधिकारी एवं कर्मचारियों के अर्जित अवकाश की संचयन सीमा 240 से बढ़ा कर 300 करने पर विचार।**

**टिप्पणी :– उपर्युक्त विषय में विक्रम विश्वविद्यालय कर्मचारी संघ से प्राप्त पत्र दिनांक 28.08.2018 के अनुसार मध्यप्रदेश शासन के पत्र क्रमांक/एफ–06–01/2018/नियम/04,भोपाल दिनांक 06 अगस्त 2018 के अनुसार शासकीय सेवकों के अर्जित अवकाश के संचयन सीमा 240 दिवस से बढ़ाकर 300 दिवस की गई है (दिनांक 01.07.2018 से प्रभावशील) तद्नुसार विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन मे कार्यरत् शिक्षक/अधिकारी एवं कर्मचारियों के अर्जित अवकाश की संचयन सीमा 240 से बढ़ा कर 300 करने पर विचार।**

**निर्णय :– निर्णय लिया गया कि शासन के आदेशानुसार विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन मे कार्यरत् शिक्षक/अधिकारी एवं कर्मचारियों के अर्जित अवकाश की संचयन सीमा 240 से बढ़ा कर 300 करने के संबंध में आवश्यक निर्देश जारी किये जाने बाबत् शासन को पत्र प्रेषित किया जाये।**

(क्रियान्वयन– प्रशासन विभाग)

विषय क्रं. 02 विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन मे कार्यरत् शिक्षक/अधिकारी एवं कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति उपादान की अधिकतम रूपये 20 लाख किए जाने हेतु प्रकरण पर विचार।

टिप्पणी :– उपर्युक्त विषय में मध्यप्रदेश शासन वित्त विभाग वल्लभ भवन भोपाल के आदेश क्रमांक एफ–9–13/17/नियम/4 भोपाल दिनांक 26.10.2017 के द्वारा दिनांक 01.01.2016 को अथवा पश्चात सेवानिवृत्त/दिवंगत शासकीय सेवको के पेंशन/परिवार पेंशन का पुनरीक्षण किया गया है जिसके बिन्दु क्रमांक 02, (ख) के अनुसार मध्यप्रदेश सिविल सेवा पेंशन नियम 1976 के अंतर्गत देय मृत्यु–सह–सेवानिवृत्ति उपादान की अधिकतम सीमा रूपये 20 लाख की गई है, तदनुसार विक्रम विश्वविद्यालय मे कार्यरत शिक्षक/अधिकारी/कर्मचारियेां की मृत्यु–सह–सेवानिवृत्ति उपादान (ग्रेज्युटी) की अधिकतम सीमा रूपये 20 लाख की जाना है।

निर्णय :– निर्णय लिया गया कि शासन के आदेशानुसार विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन मे कार्यरत् शिक्षक/अधिकारी एवं कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति उपादान की राशि की अधिकतम सीमा रूपये 20 लाख किए जाने के संबंध में आवश्यक निर्देश जारी किये जाने बाबत् शासन को पत्र प्रेषित किया जाये। (क्रियान्वयन– प्रशासन विभाग)

विषय क्रं. 03 वित्त समिति की बैठक दि. 8.8.2018 के कार्यविवरण की पुष्टि पर विचार।

निर्णय :– वित्त समिति की बैठक दि. 8.8.2018 के कार्यविवरण की पुष्टि की गई।
(क्रियान्वयन– लेखा विभाग)

विषय क्रं. 04 मे.स्पार्क एण्ड एसोसिएट, इन्दौर के संलग्न देयक रूपये 40,49,291.47 के भुगतान की स्वीकृति पर विचार।

टिप्पणी :– उपर्युक्त विषय में लेख है कि, मे.स्पार्क एण्ड एसोसिएट,इन्दौर द्वारा विश्वविद्यालय में बैंक रिकांसिलेंशन का कार्य बैलेंसशीट तैयार करना, सम्बद्धता शुल्क एवं गत 10 वर्षो के परीक्षा/अन्य शुल्कों की जॉच आदि कार्य संपादित करने हेतु अनुबंध किया गया था। मे.स्पार्क एण्ड एसोसिएट,इन्दौर द्वारा विश्वविद्यालय की बैलेंसशीट का कार्य वर्ष 2015–16 एवं 2016–17 दो वर्ष व बैंक रिकांसिलेंशन का कार्य वर्ष 2008–09 से 2016–17 तक का तैया किया जानाथा। सनद् लेखपालद्वारा केवल वर्ष 2015–16 एवं 2016–17 का बैंक रिकांसिलेंशन का कार्य किया गयश है। शेष वर्ष 2008–09 से 2014–15 कार्य नहीं किया गया है। विश्वविद्यालय के स्थायी सम्पत्ति रिपोर्ट तथा विश्वविद्यालय से संबंधित महाविद्यालयों से सम्बद्धता शुल्क की वसूली (अवधि 014.04.2006 से 31.03.2016 तक) आदि कार्य किये गये है।

02. सम्बद्धता शुल्क वसूली(अवधि 01.04.2006 से 31.03.2016 तक) शासकीय महाविद्यालय कुल 58 एवं अशासकीय महाविद्यालय कुल 131 सहित कुल राशी रूपये 6,23,92,781/– की निकाली गई है। कुल वसूली रूपये 6,23,92,781/– पर क्रय समिति द्वारा अनुशंसित न्यूनतम दर 5.50 प्रतिशत अनुसार रू. 40,49,291.47/– जी.एस.टी. सहित होती है। विश्वविद्यालय अंकेक्षण विभाग पारित कर रूपये 5,00,000/– अग्रिम के रूप में भुगतान किया जा चुका है।

03 अतः मे. स्पार्क एण्ड एसोसिएट,इंदौर को रूपये 40,49,291.47 में से अग्रिम रूपये 5,00,000/– का समायोजन करने के उपरांत रूपये 35,49,291.49/– के भुगतान की प्रशासकीय/वित्तीय स्वीकृति दिये जाने हेतु प्रकरण विचारार्थ प्रस्तुत।

निर्णय :– निर्णय लिया गया कि मे. स्पार्क एण्ड एसोसिएट, इंदौर को रूपये 40,49,291.47 में से अग्रिम रूपये 5,00,000/– का समायोजन करने के उपरांत रूपये 35,49,291.49/– के भुगतान की प्रशासकीय/वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गई। स्पार्क एण्ड एसोसिएट, इंदौर फर्म को कुल भुगतान योग्य राशि में से रूपये 5,00,000/– की राशि का भुगतान रोककर शेष राशि का वर्तमान में भुगतान किया जाये। इस प्रक्रिया में यदि किसी प्रकार की आपत्ति प्राप्त नहीं होती है तो तीन माह पश्चात् शेष राशि का भुगतान किया जायेगा। (क्रियान्वयन– लेखा विभाग)

विषय क्र. 5 विश्वविद्यालय को NAAC मूल्यांकन प्रक्रिया में उच्चतर स्थान प्राप्ति हेतु आवश्यक प्रक्रिया एवं तैयारी हेतु बजट में राशि रूपये दो करोड़ के प्रावधान की स्वीकृति प्रदान करने पर विचार।

निर्णयः– निर्णय लिया गया कि विश्वविद्यालय को NAAC मूल्यांकन प्रक्रिया में उच्चतर स्थान प्राप्ति हेतु आवश्यक प्रक्रिया एवं तैयारी हेतु बजट में राशि रूपये दो करोड़ के प्रावधान की स्वीकृति प्रदान की गई।

अध्यक्ष के प्रति धन्यवाद के साथ बैठक की कार्यवाही सम्पन्न हुई।

कुलपति

कुलसचिव

# विक्रम विश्वविद्यालय,उज्जैन

क्रमांक/अकादमिक/सम्मिलन/2018/2358 दिनांक :- 17/12/18

प्रति,

माननीय कुलाधिपति एवं राज्यपाल के सचिव,
राजभवन,
भोपाल।

**विषय :- कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 13.12.2018 का कार्यविवरण विषयक।**

**महोदय,**

उपर्युक्त विषयान्तर्गत इस पत्र के साथ कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 13.12.2018 का कार्यविवरण आपकी ओर संलग्न प्रेषित किया जा रहा है।

आदेशानुसार

संलग्न :- उपरोक्तानुसार

कुलसचिव

क्रमांक/अकादमिक/सम्मिलन/2018/2359 दिनांक :-17/12/18

प्रतिलिपि :-

01. कार्यपरिषद् के समस्त माननीय सदस्यगण।
02. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
03. आयुक्त, उच्च शिक्षा विभाग, सतपुड़ा भवन, भोपाल।

अनुभाग अधिकारी (अकादमिक)

# विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन

क्रं./अकादमिक/सम्मिलन/2018/2339 दिनांक :– 14/12/18

कार्यपरिषद्
की
बैठक की कार्य विवरण

स्थान :– माधव भवन, उज्जैन

तिथि :– 13 दिसम्बर, 2018
समय :– अपरान्ह : 12:30 बजे

–:: उपस्थिति ::–

| | | |
|---|---|---|
| 01. | प्रो. एस.एस.पाण्डेय | कुलपति एवं अध्यक्ष |
| 02. | डॉ. एच.पी. सिंह | सदस्य |
| 03. | डॉ. बी.के. मेहता | सदस्य |
| 04. | डॉ. आर.सी. जाटवा | सदस्य |
| 05. | डॉ. राजाराम यादव | सदस्य |
| 06. | डॉ. आशुतोष दुबे | सदस्य |
| 07. | श्री सुनील कुमार | सदस्य |
| 08. | श्री सुरेन्द्र गांधी | सदस्य |
| 09. | श्रीमती अमृता सोलंकी | सदस्य |
| 10. | डॉ. डी.के. बग्गा | प्रभारी कुलसचिव एवं सचिव |

**निर्वाचन आचार संहिता प्रभावशील होने के कारण दिनांक 16.10.2018 को आयोजित कार्यपरिषद की बैठक स्थगित की गई।**

**विषय क्र.01.** कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 29.08.2018 के कार्यविवरण की पुष्टि पर विचार।
(कार्यविवरण की प्रति संलग्न)

**निर्णय :–** निर्णय लिया गया कि कार्यपरिषद् की विगत बैठक दिनांक 29.08.2018 के कार्यविवरण की पुष्टि की गई।

(क्रियान्वयन–अकादमिक विभाग)

**विषय क्र.02.** समन्वय समिति की 95 वीं बैठक दिनांक 06.09.2018 के कार्यविवरण एतद् सूचनार्थ।

**निर्णय :–** निर्णय लिया गया कि समन्वय समिति की 95 वीं बैठक दिनांक 06.09.2018 के कार्यविवरण की सूचना ग्राहय की गई।

(क्रियान्वयन–अकादमिक विभाग)

**विषय क्रं. 03** विद्यापरिषद् की बैठक दिनांक 25.07.2018 एवं 01.10.2018 के कार्य विवरणों की पुष्टि पर विचार।
(कार्यविवरणों की प्रति संलग्न)

**निर्णय :–** निर्णय लिया गया कि विद्यापरिषद् की बैठक दिनांक 25.07.2018 एवं 01.10.2018 के कार्य विवरणों की पुष्टि की गई।

**(क्रियान्वयन–अकादमिक विभाग)**

**विषय क्र.04.** विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 28.09.2018 एवं 10.10.2018 एवं 12.12.2018 के कार्य विवरण की पुष्टि पर विचार।
(कार्यविवरण की प्रति संलग्न)

**निर्णय :–** निर्णय लिया गया कि विद्यापरिषद की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 28.09.2018 एवं 10.10.2018 एवं 12.12.2018 के कार्य विवरण की पुष्टि की गई।

**(क्रियान्वयन–अकादमिक विभाग)**

**विषय क्र.05.** शोध अभ्यार्थियों द्वारा प्रस्तुत शोध प्रबंधों के परिक्षकों की अनुशंसा के आधार पर प्रदान की गई पीएच.डी. उपाधि की सूचना।
(सूची पटल पर प्रस्तुत की जावेगी।)

**निर्णय :–** निर्णय लिया गया कि शोध अभ्यार्थियों द्वारा प्रस्तुत शोध प्रबंधों के परिक्षकों की अनुशंसा के आधार पर प्रदान की गई पीएच.डी. उपाधि की सूचना ग्राहय की गई।

**(क्रियान्वयन–अकादमिक विभाग)**

**विषय क्रं. 06.** परिनियम क्रं. 32 के प्रावधानांतर्गत भवन समिति में माननीय कुलपतिजी द्वारा निम्नांकित दो सदस्यों का मनोनयन किया गया।

1. प्रो. एच.पी. सिंह
2. डॉ. आशुतोष दुबे

   एतद् सूचनार्थ।
3. **निर्णय :–** निर्णय लिया गया कि परिनियम क्रं. 32 के प्रावधानांतर्गत भवन समिति में माननीय कुलपतिजी द्वारा निम्नांकित दो सदस्यों प्रो. एच.पी. सिंह एवं डॉ. आशुतोष दुबे के मनोनयन की सूचना ग्राह्य की गई।

**(क्रियान्वयन–यांत्रिकी विभाग)**

**विषय क्रं. 07.** भवन समिति की बैठक दिनांक 03.10.2018 के कार्यविवरण के अनुमोदन पर विचार।
(कार्यविवरण की प्रति संलग्न)

**निर्णय :–** निर्णय लिया गया कि भवन समिति की बैठक दिनांक 03.10.2018 के कार्यविवरण का अनुमोदन किया गया। अतः तद्नुसार कार्यवाही की जावे।

**(क्रियान्वयन–यांत्रिकी विभाग)**

**विषय क्रं. 08.** उत्तर पुस्तिकाएँ क्रय करने की वित्तीय स्वीकृति पर विचार।

**टिप्पणी:–** आगामी परीक्षा माह नवम्बर, 2018 I, III, V सेमेस्टर की परीक्षा में अनुमानीत 70,000 हजार परीक्षार्थी सम्मिलित होंगे एवं माह मार्च 2019 में मेन्युवल परीक्षा में अनुमानित 80,000/– हजार परीक्षार्थी सम्मिलित होंगे तथा मई जून, 2019 II, IV, VI सेमेस्टर की परीक्षा में अनुमानित 70,000/– परीक्षार्थी सम्मिलित होंगे। पूरक/ए.टी.के.टी. परीक्षा में अनुमानित 30,000/– हजार परीक्षार्थी सम्मिलित होंगे। उक्त चारो परीक्षा में

अनुमानित दो लाख, पचास हजार छात्र सम्मिलित होने का अनुमान है। बार कोड वाली UG उत्तर पुस्तिका 11,00,000 लाख है। बार कोड वाली PG उत्तर पुस्तिका 1,50,000 है। बार कोड वाली पी सी (प्रोफेशनल कोर्स) उत्तर पुस्तिका 4,50,000 उक्त सभी प्रकार की है। बार कोड वाली उत्तर पुस्तिका कुल 17,00,000 की आवश्यकता होगी। आगामी परीक्षाओं हेतु 17,00,000 बार कोड वाली उत्तर पुस्तिका क्रय की जाना प्रस्तावित है। अनुमानित रू. 1,34,00,000/– (एक करोड़, चोतीस लाख) का व्यय होगा। उक्त राशि की प्रशासकीय तथा वित्तीय स्वीकृति के साथ ही दरे अनुमोदनार्थ प्रस्तावित है।

<u>मेसर्स कैलाश प्रिन्टिंग प्रेस भोपाल की ई–निविदा में प्राप्त दरें अनुमोदनार्थ</u>

1. PC उत्तर–पुस्तिका, 40 पेज (प्रोफेशनल कोर्स) 7549/– प्रति हजार
2. प्रयोगिक उत्तर–पुस्तिका, 12 पेज 2316/– प्रति हजार
3. UG उत्तर–पुस्तिका, 40 पेज 7549/– प्रति हजार
4. PG उत्तर–पुस्तिका, 40 पेज 7549/– प्रति हजार
5. **बारकोड वाली शीट पुरानी उत्तर पुस्तिका 40 पेज हेतु 1067/– प्रति हजार**

**(निम्नानुसार बार कोड वाली उत्तर पुस्तिका क्रय की जाना प्रस्तावित है।**

**4.माह नवम्बर, 2018 I, III, V सेमेस्टर की परीक्षा के लिये बारकोड वाली उत्तरपुस्तिका**

UG 2,00,000
PG 75,000
PC 2,25,000

**5.माह मार्च 2019 में मेन्युवल (मुख्य) परीक्षा के लिये बारकोड वाली उ.पु.**

UG 7,00,000

**6.माह मई, जून, 2019 में II, IV, VI सेमेस्टर की परीक्षा के लिये बारकोड वाली उ.पु.**

UG 2,00,000
PG 75,000
PC 2,25,000

**1-2-3 का योग 17,00,000 लाख बारकोड वाली उत्तर पुस्तिकायें।**

आगामी परीक्षा माह नवम्बर, 2018 I, III, V सेमेस्टर की परीक्षा एवं माह मार्च 2019 में मेन्युवल परीक्षा तथा मई, जून, 2019 में II, IV, VI सेमेस्टर एटीकेटी पुरक एवं अन्य परीक्षाऐं आयोजित होना है इस हेतु आवश्यकता अनुसार **UG, PG, PC** उक्त तीनों प्रकार की बार कोड वाली उत्तर पुस्तिकाऐं 17,00,000 क्रय करने हेतु रू. 1,34,00,000 (एक करोड़, चोतीस लाख) का अनुमानित व्यय होगा प्रस्ताव कार्यपरिषद् की बैठक के समक्ष विचारार्थ एवं प्रशासकीय तथा वित्तीय स्वीकृति के साथ ही दरे अनुमोदनार्थ प्रस्तावित है।

**निर्णय :–** निर्णय लिया गया कि प्रस्ताव अनुसार उत्तरपुस्तिका क्रय करने की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गई। साथ ही यह भी निर्णय लिया गया कि नवीन उत्तरपुस्तिकाओं से माह मार्च–अप्रैल में आयोजित वार्षिक परीक्षाएं एवं पश्चातवर्ती परीक्षाएं सम्पन्न करायी जावें। वर्तमान में दिसम्बर माह से आयोजित होने वाली परीक्षाएं पूर्व में रखी हुई उत्तर पुस्तिकाओं से सम्पन्न करायी जावें। यदि उत्तरपुस्तिका की संख्या में कमी पड़ती है तो नियमानुसार उसकी व्यवस्था की जावें।

(क्रियान्वयन–भण्डार/गोपनीय विभाग)

**विषय क्रं. 09.** शैक्षणिक सत्र 2018–2019 में विश्वविद्यालय की विभिन्न अध्ययनशाला/संस्थान में शैक्षणिक आवश्यकतानुसार स्वीकृत पदों के विरूद्ध संविदा/अतिथि विद्वानों को आमंत्रित किये जाने पर विचार।

**टिप्पणीः–** शैक्षणिक सत्र 2018–2019 में विश्वविद्यालय की विभिन्न अध्ययनशाला/संस्थान में शैक्षणिक आवश्यकतानुसार स्वीकृत पदों के विरूद्ध संविदा/अतिथि विद्वानों को आमंत्रित करने हेतु विभिन्न अध्ययनशालाओं के विभागाध्यक्षों द्वारा की गयी मांग के आधार पर गठित समिति की अनुशंसानुसार विज्ञापन क्रं./प्रशा./संस्था./18/3607, दिनांक 18.09.2018 द्वारा अतिथि विद्वानों के लिये विज्ञापन जारी किया गया, जिसमें अभ्यार्थियों को दिनांक 29.09.2018 तक आवेदन जमा किया जाना था। विश्वविद्यालय की विज्ञप्ति क्रं./प्रशा./संस्था./18/3618, दिनांक 19.09.2018 द्वारा उक्त जारी विज्ञापन दिनांक 18.09.2018 के संबंध में विश्वविद्यालय द्वारा माननीय उच्च न्यायालय खण्डपीठ, इन्दौर में कैवियर दायर की गयी है।

उपरोक्त विज्ञापन के पश्चात् म.प्र. शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, भोपाल द्वारा जारी परिपत्र के अनुसार संबंधित अध्ययनशालाओं द्वारा गुणानुक्रम के आधार पर प्रत्येक विषय में अतिथि विद्वानों की चयन कर उन्हें संबंधित विभाग में अध्यापन कार्य सौंपा जावेंगा।

अतः प्रकरण कार्यपरिषद् के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

**निर्णयः–** निर्णय लिया गया कि म.प्र. शासन उच्च शिक्षा विभाग, भोपाल द्वारा जारी परिपत्र/नियम को संग्राह्य किया जावे। शैक्षणिक सत्र 2018–2019 में विश्वविद्यालय की विभिन्न अध्ययनशाला/संस्थान में शैक्षणिक आवश्यकतानुसार स्वीकृत पदों के विरूद्ध संविदा/अतिथि विद्वानों के चयन/संयोजन की प्रक्रिया म.प्र. शासन, उच्च शिक्षा विभाग के आदेश–निर्देश अनुसार सम्पन्न की जावे। माननीय न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण में पूर्वानुसार दरों से मानदेय का भुगतान किया जावेगा। नई चयन प्रक्रिया से संयोजित अतिथि विद्वानों को म.प्र. शासन के नियमानुसार मानदेय का भुगतान की कार्यवाही की जाए।

**(क्रियान्वयन–प्रशासन विभाग)**

**विषय क्रं .10.** हवाई जहाज/रेलवे प्रथम ए.सी. से यात्रा करने की अनुमति पर विचार।

**टिप्पणी –** पूर्व कुलपतियों एवं वर्तमान कुलपतियों को राज्य/अन्य राज्यों से विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन में पीएच.डी. मौखिकी, एम.फिल. संगोष्ठी, प्रायोगिक परीक्षाओं तथा अन्य कार्यों हेतु आयोजित बैठकों में उपस्थित होने पर राज्यशासन के यात्रा भत्ता नियमों के अंतर्गत हवाई जहाज/रेलवे प्रथम ए.सी. का वास्तविक किराया भुगतान की पात्रता होती है।

अतः राज्यशासन के यात्रा भत्ता नियमों अनुसार पूर्व कुलपतियों एवं वर्तमान में कार्यरत कुलपतियों को राज्य/अन्य राज्यों से विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन में पीएच.डी. मौखिकी, एम.फिल., संगोष्ठी, प्रायोगिक परीक्षाओं तथा अन्य कार्यों हेतु उपस्थित होने पर हवाई जहाज/रेलवे प्रथम ए.सी. का वास्तविक किराया भुगतान दिये जाने हेतु प्रकरण कार्यपरिषद् के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

**निर्णय :–** निर्णय लिया गया कि प्रस्ताव अनुसार इकानॉमी क्लास से हवाई जहाज/रेलवे प्रथम ए.सी. से यात्रा करने की अनुमति प्रदान की गई।

**(क्रियान्वयन–लेखा विभाग)**

**विषय क्रं. 11.** विश्वविद्यालय के प्रवेश सूचना संबंधी विज्ञापन हेतु म.प्र. माध्यम, भोपाल को रूपये 664904/– के भुगतान की स्वीकृति पर विचार।

**टिप्पणीः–** सत्र 2018–19 में विश्वविद्यालय में शिक्षकों के नियमित पदों पर भर्ती संबंधी विज्ञापन म.प्र. माध्यम, भोपाल के द्वारा राष्ट्रीय/राज्य स्तरीय समाचार–पत्रों में छपवाया गया था। म.प्र. माध्यम, भोपाल से निम्नानुसार देयक भुगतान हेतु प्राप्त हुये हैं:–

1. देयक क्रं./92406, दिनांक 06.08.2018 रू. 664904/–

**कुल योग** **664904/–**

2. अतः म.प्र. माध्यम, भोपाल को रूपये 664904/– के भुगतान की प्रशासकीय/वित्तीय स्वीकृति दिये जाने हेतु प्रकरण कार्यपरिषद् के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

**निर्णय :–** निर्णय लिया गया कि विश्वविद्यालय के प्रवेश सूचना संबंधी विज्ञापन हेतु म.प्र. माध्यम, भोपाल को रूपये 664904/– के भुगतान की स्वीकृति प्रदान की गई। म.प्र. माध्यम से प्राप्त देयकों के भुगतान की प्रक्रिया नियमानुसार शीघ्र सम्पन्न की जाने एवं म.प्र. माध्यम के सभी लंबित देयकों का नियमानुसार शीघ्र भुगतान किया जावे।

**(क्रियान्वयन–लेखा विभाग)**

**विषय क्रं. 12.** विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन में कार्यरत स्थाईकर्मी कर्मचारियों को वेतन एवं 142 प्रतिशत महंगाई भत्ता देने पर विचार।

**टिप्पणी –** मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, के अंतर्गत संचालित विश्वविद्यालय में कार्यरत दैनिक वेतन भोगी के लिये स्थाई कर्मी घोषित करने विषयक आदेश क्रं. एफ 73–13/2017/38–3 भोपाल, दिनांक 27.04.2018 प्रसारित किया गया है। उक्त परिपत्र के अनुसार सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश क्रं. एफ–5–1/2013/1/3, दिनांक 07.10.16 के अंतर्गत म.प्र. शासन के समस्त विभागों में कार्यरत दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को स्थाईकर्मी घोषित किए जाने के संबंध में विक्रम विश्वविद्यालय द्वारा गठित समिति की अनुशंसा अनुसार कार्यालयीन आदेश क्रं. 3174 दिनांक 10.07.18 के द्वारा 56 कुशल/अकुशल दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को स्थाईकर्मी घोषित किया गया। उक्त आदेशानुसार किए गए 56 स्थाईकर्मियों को न्यूनतम वेतन एवं म.प्र. शासन, वित्त विभाग, के आदेश दिनांक 16.05.18 के अनुसार स्थाईकर्मियों को मूल वेतन का महंगाई भत्ता 142 प्रतिशत देने हेतु प्रकरण कार्यपरिषद के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत।

**निर्णय :–** निर्णय लिया गया कि, विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन में कार्यरत स्थाईकर्मी कर्मचारियों को विधिवत वेतन एवं 142 प्रतिशत महंगाई भत्ता दिए जाने की अनुमति प्रदान की गई।

**(क्रियान्वयन–प्रशासन/लेखा विभाग)**

**विषय क्रं. 13.** विश्वविद्यालय की वर्ष 2018–19 की विभिन्न परीक्षाओं में अनुचित साधनों का उपयोग करने वाले परीक्षार्थियों के प्रकरण पर विचार करने हेतु विश्वविद्यालयीन अध्यादेश क्रं. 05 के कंडिका क्रं. 21 (6–ए) के प्रावधान के अनुसार कार्यपरिषद् द्वारा समिति का गठन एक वर्ष के लिये किया जाना है। वर्ष 2017–18 की परीक्षा हेतु कार्यपरिषद् द्वारा गठित अनुचित साधन प्रकरण समिति का कार्यकाल पूर्ण हो चुका है पर विचार।

1. कार्यपरिषद् सदस्य–एक – प्रो. एच.पी. सिंह, सांख्यिकी अ.शा. वि.वि.वि, उज्जैन।
2. संकायाध्यक्षों में से– एक प्रो. शुभा जैन, रसायन अ.शा.,वि.वि.वि.,उज्जैन।
3. विद्यापरिषद के शिक्षकों सदस्यों में से –एक– डॉ. के.एन.सिंह,भौमिकी,अ.शा.,
4. प्राचार्य सदस्य – दो डॉ. आर.सी.जाटवा,शा.संस्कृत महा. उज्जैन
   प्राचार्य, डॉ. महेश शर्मा, शा.कालिदास कन्या महाविद्याय, उज्जैन।
5. अध्ययन बोर्ड में मनोनित छात्र में से –एक .....
6. कुलसचिव – पदेन

**टिप्पणीः–** उक्त समिति के अनुमोदन हेतु कार्यपरिषद् की बैठक में प्रस्ताव प्रस्तुत है।

**निर्णय :–** निर्णय लिया गया कि विश्वविद्यालय की वर्ष 2018–19 की विभिन्न परीक्षाओं में अनुचित साधनों का उपयोग करने वाले परीक्षार्थियों के प्रकरण पर विचार करने हेतु विश्वविद्यालयीन अध्यादेश क्रं. 05 के कंडिका क्रं. 21 (6–ए) के प्रावधान के अनुसार कार्यपरिषद् द्वारा गठित समिति के मनोनयन की अनुशंसा मान्य की गई।

**(क्रियान्वयन–गोपनीय विभाग)**

**विषय क्रं. 14.** अध्यादेश क्रं. 5 एवं 16 को ग्राह्य किये जाने हेतु सूचनार्थ।

**टिप्पणी–** म.प्र. शासन उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, भोपाल से प्राप्त पत्र क्रं./930/145/सी.सी./2018 भोपाल, दिनांक 06.10.18 के संबंध में समन्वय समिति की 95 वी. बैठक दिनांक 06.09.2018 के विषय क्रं. 05 एकरूपता समिति द्वारा अनुशंसित शेष अध्यादेश क्रं. 05 एवं 16 में लिये गये निर्णय को मान्य किया गया। एतद् सूचनार्थ।

**निर्णय :–** निर्णय लिया गया कि म.प्र. शासन उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, भोपाल से प्राप्त पत्र क्रं./930/145/सी.सी./2018 भोपाल, दिनांक 06.10.18 के संबंध में समन्वय समिति की 95 वी. बैठक दिनांक 06.09.2018 के विषय क्रं. 05 एकरूपता समिति द्वारा अनुशंसित शेष अध्यादेश क्रं. 05 एवं 16 को अंगीकृत किया जावे।

**(क्रियान्वयन–अकादमिक विभाग)**

**विषय क्रं. 15.** गांधीजी के जन्म के 150 वें वर्ष के उपलक्ष्य में कार्ययोजना सूचनार्थ प्रस्तुत।

**टिप्पणी–** म.प्र. शासन उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, भोपाल से प्राप्त पत्र क्रं./932/145/सी.सी./2018 भोपाल, दिनांक 06.10.18 के संबंध में समन्वय समिति की 95 वीं बैठक दिनांक 06.09.2018 के विषय क्रं. 10 गांधी जी के जन्म के 150 वें वर्ष के उपलक्ष्य में कार्ययोजना के संबंध में लिये गये निर्णय एतद् सूचनार्थ।

**निर्णय :–** निर्णय लिया गया गांधीजी के जन्म के 150 वें वर्ष के उपलक्ष्य में आयोजित कार्ययोजना की सूचना ग्रहण की गई एवं मान्य किया गया।

**(क्रियान्वयन–विद्यार्थी कल्याण विभाग)**

**विषय क्रं. 16.** दिनांक 1.1.06 के पूर्व सेवानिवृत्त पेंशनर्स का छठे वेतन में पेंशन एरियर्स का विश्वविद्यालय द्वारा भुगतान संबंधी।

**टिप्पणी** 1. दिनांक 1.1.06 के पूर्व सेवानिवृत्त पेंशनर्स का छठे वेतन में पेंशन एरियर्स का विश्वविद्यालय द्वारा भुगतान करने के संबंध में अपर संचालक, वित्त के द्वारा पत्र क्रं.

1030, दि. 7.9.2018 प्रेषित किया गया है जिसमें उल्लेखित है कि शासन के आदेश दि. 13.11.17 के अनुक्रम में दि. 1.1.06 से पूर्व एवं दि. 31.3.14 के समस्त पेंशन एरियर्स की देयता विश्वविद्यालय को वहन करना है।

2. उक्त पत्र अनुसार दि. 1.1.06 से पूर्व एवं दि. 1.4.18 तक विश्वविद्यालय द्वारा पेंशन फण्ड में 14 करोड़ जमा किये जाने थे इस संबंध में उल्लेखित है कि पूर्व में शासन द्वारा दि. 1.1.06 के पश्चात सेवानिवृत्त पेंशनर्स के छठे वेतन में पेंशन व्यय भार की जानकारी चाही गयी थी फलस्वरूप विश्वविद्यालय के संलग्न पत्र क्रं. 760, दि. 25.7.15 के अनुसार दि. 1.1.06 से 31.3.14 के मध्य सेवानिवृत्त कर्मचारियों का छठे वेतन में पेंशन प्रदान करने पर अनुमानित 14 करोड़ का व्यय भार तैयार किया गया था चुंकि पेंशन का भुगतान प्रतिमाह शासन/बैंक द्वारा पांचवे वेतन में किया गया है उसकी जानकारी विश्वविद्यालय में उपलब्ध नहीं होती हैं। इस कारण अन्तर राशि विश्वविद्यालय द्वारा आंकलित नहीं की जा सकती है। उक्तानुसार शासन द्वारा छठे वेतन में से पांचवे वेतन की पेंशन घटाए बगैर ही व्ययभार अंतर राशि का 14 करोड आंकलन कर विश्वविद्यालय से राशि की मांग की गई।

3. शासन द्वारा उक्त 14 करोड़ के आंकलन अनुसार ही लिखा गया है कि विश्वविद्यालय द्वारा दि. 5.1.18 को इलाहाबाद बैंक में 8 करोड़ जमा किये गये थे, शेष 6 करोड़ जमा करने हेतु पत्र दि. 27.6.18 प्रेषित किया गया है।

4. उक्त पत्र में यह भी लिखा गया है कि विश्वविद्यालय द्वारा जमा राशि रू. 8 करोड़ में से 64315935/– का भुगतान हो चुका है शेष राशि रू. 15684066/– दि. 1.1.06 से 31.3.14 तक के शेष पेंशनर्स को भुगतान हेतु सुरक्षित रखी गयी है।

5. पत्र के अंतिम पैरा में दि. 1.1.06 के पूर्व सेवानिवृत्त पेंशनर्स हेतु 6 करोड़ एवं 3 करोड कारपरस फण्ड की राशि अतः कुल 9 करोड की मांग की गई है।

इस संबंध में लेख है कि परिनियम 37 अनुसार पेंशन, पेंशन एरियर्स का भुगतान शासन स्तर से ही किया जाना है परन्तु शासन द्वारा बार–बार विश्वविद्यालय से पेंशन एरियर्स के भुगतान हेतु राशि की मांग की जा रही है। शासन द्वारा जो 6 करोड रूपये की मांग की गई है के संबंध में स्पष्ट आंकलन किये जाने हेतु अपर संचालक, वित्त को पत्र क्रं. 3766 दि. 11.10.18 प्रेषित किया गया है।

अतः विश्वविद्यालय द्वारा पूर्व में 8 करोड़ रूपये भेजे गये है वह सूचनार्थ प्रस्तुत है एवं जो 6 करोड़ की मांग की जा रही है के संबंध में विचार।

**निर्णय :–** निर्णय लिया गया कि विश्वविद्यालय प्रशासन को आवश्यकतानुसार कार्यवाही करने हेतु अधिकृत किया जाता है।

**(क्रियान्वयन–लेखा/प्रशासन विभाग)**

**विषय क्रं. 17.** संपूर्ण विश्वविद्यालय परिसर में सी.सी.टी.वी. केमरे एवं 24 घंटे वाई–फाई नेटवर्क सुविधा उपलब्ध कराये जाने हेतु निविदाएं जारी किये जाने पर विचार।

**टिप्पणी :–** दिनांक 27.06.2018 को कार्यपरिषद् की बैठक के बिन्दु क्रं. 9 एवं 10 पर अनुमति प्रदान की जा चुकी है। सीसीटीवी केमेरे हेतु दिनांक 29.08.2018 को प्रथम आर.एफ.पी.निविदा जारी की गई थी जिसमें केवल एक फर्म द्वारा सहभागिता की गई थी। अतः द्वितीय ई–निविदा जारी की जाना है एवं वाई–फाई हेतु प्रथम निविदा जारी की जाना है।

**निर्णय :–** निर्णय लिया गया कि संपूर्ण विश्वविद्यालय परिसर में सी.सी.टी.वी. केमरे एवं 24 घंटे वाई–फाई नेटवर्क सुविधा उपलब्ध कराये जाने हेतु निविदाएं जारी किये जाने की सूचना ग्राहय की गई, प्रक्रिया मान्य की गई।

**(क्रियान्वयन–यांत्रिकी विभाग)**

**विषय क्रं 18.** विश्वविद्यालय के गोपनीय/परीक्षा के टेबुलेशन चार्ट एवं अन्य आवश्यक परीक्षा उपयोगी सामग्री तथा सिंधिया प्राच्य संस्थान में रखी अति प्राचीन दुर्लभ पांडुलिपियों का डिजिटलाईजेशन किया जाना है। अतः इस हेतु ई निविदा जारी करने पर विचार।

**निर्णय :–** निर्णय लिया गया कि ई निविदा जारी करने की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई।

**(क्रियान्वयन–भण्डार/यांत्रिकी विभाग)**

**विषय क्रं. 19.** विश्वविद्यालय की लिखित उत्तरपुस्तिकाओं/समाचार पत्र/मेग्जीन एवं प्रेस की कतरन एवं अन्य रद्दी विक्रय किये जाने हेतु अनुमोदित फर्म से अनुबंध किया जाने पर विचार।

**टिप्पणी :–** उक्त निविदा के संबंध में मेसर्स मॉज वेस्ट सप्लायर, इंदौर की अधिकतम दर प्राप्त हुई उक्त फर्म द्वारा उत्तर पुस्तिका/रद्दी उठाये जाने के संबंध में अनुबंध करवाया जाना है एवं शेष दो फर्मों – (1) मेसर्स संजय ब्रदर्स, एवं (2) मेसर्स जय भारत ट्रेडर्स, जयपुर को 1–1 लाख रू पये EMD राशि लोटाई जाना है।

**निर्णय :–** निर्णय लिया गया कि विश्वविद्यालय की लिखित उत्तरपुस्तिकाओं/समाचार पत्र/मेग्जीन एवं प्रेस की कतरन एवं अन्य रद्दी विक्रय किये जाने हेतु अनुमोदित फर्म से अनुबंध किया जाने की सहमति प्रदान की गई।

**(क्रियान्वयन–भण्डार विभाग)**

**विषय क्रं. 20.** विश्वविद्यालय में स्टेशनरी सामग्री क्रय हेतु अनुमोदित 04 फर्मों से अनुबंध किये जाने पर विचार।

**टिप्पणी :–** स्टेशनरी क्रय किये जाने के संबध में उच्च क्रय समिति द्वारा 04 फर्मों की दरें मान्य की गई हैं जो निम्नानुसार है:–

1. प्रेरणा एसोसिएट्, उज्जैन।
2. अक्कड़वाला एसोसिएट, उज्जैन।
3. गोयल ट्रेडिंग कंपनी, उज्जैन।
4. राय इंटर प्राईजेस, उज्जैन।

उक्त चारों फर्मों से स्टेशनरी सामग्री क्रय किये जाने के पूर्व अनुबंध किया जाना है तथा एक फर्म अब्दुल हसन यूसूफ़ भाई काजी, उज्जैन रू. 40,000/– की EMD राशि लोटाई जाना है।

**निर्णय :–** निर्णय लिया गया कि क्रय नियमों का पालन करते हुए आगामी कार्यवाही सम्पादित की जाए।

**(क्रियान्वयन–भण्डार विभाग)**

**विषय क्रं. 21.** प्री एण्ड पोस्ट परीक्षा कार्य हेतु प्राप्त निविदाओं पर विचार।

**निर्णय :–** निर्णय लिया गया कि पुनः प्रक्रिया सम्पन्न की जावे। नई निविदा कार्यवाही पूर्ण होने तक पूर्व स्वीकृत निविदा के अनुसार कार्यवाही की जावे।

**(क्रियान्वयन–भण्डार विभाग)**

**विषय क्रं. 22.** उपाधि मुद्रण हेतु प्राप्त निविदाओं पर विचार।

**निर्णय :–** निर्णय लिया गया कि क्रय समिति की अनुशंसा मान्य की जावे एवं तद्नुसार आगामी कार्यवाही की जावे।

**(क्रियान्वयन–भण्डार विभाग)**

**विषय क्रं. 23.** सत्र 2017–18 में शारीरिक शिक्षा विभाग के विद्यार्थियों हेतु 450 नग ट्रेक सूट, 443 नग ब्लेजर, एवं 443 नग क्रेस्ट क्रय किये जाने हेतु जारी निविदाओं पर विचार।

**निर्णय :–** निर्णय लिया गया कि सत्र 2017–18 में शारीरिक शिक्षा विभाग के विद्यार्थियों हेतु 450 नग ट्रेक सूट, 443 नग ब्लेजर, एवं 443 नग क्रेस्ट क्रय किये जाने हेतु निविदा प्रक्रिया का अनुमोदन किया गया। उच्च क्रय समिति की अनुशंसा यथानुसार मान्य की गई। तद्नुसार कार्यवाही की जावे।

**(क्रियान्वयन–भण्डार विभाग)**

**अध्यक्ष महोदय की अनुमति से अन्य विषय पर विचार।**

**विषय क्रं.01.** विश्वविद्यालय के बैंक ऑफ इण्डिया, उज्जैन में संचालित बैंक खातों को बंद कर अन्य बैंक में संचालित करने पर विचार।

**टिप्पणी –** विश्वविद्यालय के बैंक ऑफ इण्डिया में संचालित कुलसचिव, विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन का खाता क्रं./ओडी–910127100002409 (परीक्षा शुल्क), खाता क्रं. /910120110000045 (राजीव गांधी नेशनल फेलोशिप), खाता क्रं./ 910110110000407 (मातृ संस्था सम्मान निधि) एवं खाता क्रं./910120100000612 एम. पी. ऑनलाईन शुल्क सहित राशि एवं सावधि जमा बैंक खाते में संचालित किये जा रहे हैं। पिछले कुछ माहों से बैंक ऑफ इण्डिया द्वारा प्रदान की जा रही सेवायें असंतोषजनक पायी गयी हैं। अतः माननीय कुलपतिजी के आदेशानुसार विश्वविद्यालय के बैंक ऑफ इण्डिया, उज्जैन में संचालित एम.पी. ऑनलाईन द्वारा जमा शुल्क एवं सावधि जमा परिपक्वता पश्चात् आहरित करने के साथ समस्त खातों को बंद कर अन्य बैंक में खाता खोलने एवं सावधि जमा पुनः करायी जाने हेतु प्रकरण कार्यपरिषद् के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

**निर्णय :–** निर्णय लिया गया कि आवश्यतानुसार कार्यवाही हेतु विश्वविद्यालय प्रशासन को अधिकृत किया जाता है।

**(क्रियान्वयन–लेखा विभाग)**

**कुलपति** **कुलसचिव**